# हम निभाएंगे

# घोषणा-पत्र

## लोकसभा चुनाव 2019

## भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

**“मेरा किया हुआ वादा मैंने कभी नहीं तोड़ा।”**

**राहुल गांधी**

# अनुक्रमणिका


**पेज 4** **अध्यक्ष की कलम से**

कांग्रेस के घोषणा पत्र में अंकित प्रत्येक शब्द, आपकी आवाज और करोड़ो भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

**पेज 6** **फैसले की घड़ी**

2019 का चुनाव भारत देश के भविष्य के साथ-साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

## पेज 9 विस्तृत कार्ययोजना

काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान, सम्मान


**पेज 10 काम—रोजगार और विकास**
11 रोज़गार
12 उद्योग
13 आधारभूत ढ़ांचा
13 शहर-शहरीकरण और शहर नीति
14 ग्रामीण विकास
14 अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र

**15 दाम—सबके हितार्थ अर्थव्यवस्था**
16 कृषि, किसान और कृषि श्रमिक
17 आर्थिक नीति
19 न्यूनतम आय योजना (एन.वाई.ए.वाई.)
20 कर निर्धारण और कर प्रणाली सुधार
22 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र
23 विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार
23 मत्स्य पालन उद्योग और मछुआरे

**24 शान—हमारी दूरदर्शिता और दृढ़शक्ति पर गर्व**
25 राष्ट्रीय सुरक्षा
25 आंतरिक सुरक्षा
26 विदेश नीति
27 सीमा सुरक्षा
27 भूतपूर्व सैनिक
28 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
28 कला-संस्कृति और साहित्य
29 पर्यटन
29 अप्रवासी भारतीय
30 नागरिकों एवं नागरिक संगठनों के साथ जुड़ाव

**31 सुशासन—स्वतंत्र और जवाबदेह संस्थानों की मदद से**
32 संस्थान
32 भ्रष्टाचार विरोधी
32 सरकार, पारदर्शिता और जवाबदेही
33 संघवाद और केन्द्र राज्य संबन्ध
33 स्थानीय स्वषासन
34 न्यायपालिका
35 कानून नियम और विनियमो की पुनःपरख
36 चुनाव सुधार
36 पुलिस सुधार
37 मीडिया और मीडिया की स्वतंत्रता
37 संभावित परियोजना और नया योजना आयोग

**38 स्वाभिमान—वंचितों का आत्मसम्मान**
39 महिला सशक्तीकरण और लिंगसंवेदीकरण
39 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
40 जम्मू-कश्मीर
41 पूर्वोत्तर राज्य
42 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक
43 विमुक्त जनजातियां और अर्धघुमंतू जनजातियां
43 वरिष्ठ नागरिक
43 दिव्यांग जन
44 एलजीबीटीक्यूआईए+ के अधिकार

**45 सम्मान—सभी के लिये सम्मानजनक जीवन**
46 स्वास्थ्य देखभाल
47 शिक्षा
48 भोजन और पोषण सुरक्षा
49 बाल कल्याण
49 जल प्रबंधन, स्वच्छता और साफ-सफाई
50 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
51 जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन
52 हर नागरिक का डिजिटल अधिकार
52 खेल


## पेज 54 अपील

आइए, हम मिलकर भारत का पुनर्निर्माण करें,
हम सब एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाएं।

# अध्यक्ष की कलम से

**121** परामर्श कार्यक्रम, आम नागरिकों के साथ

**24** राज्यो, 3 केन्द्रशासित प्रदेशों के 60 से अधिक स्थानों में परामर्श कार्यक्रम

**53** परामर्श कार्यक्रम, किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रीयों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टर, वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्धानों के साथ

**12** से अधिक देशों के अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से मुलाकात और चर्चा

भाइयों और बहनों,
2019 का आम चुनाव देश के सामने एक बड़ा विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

क्या भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश होगा? क्या भारत के लोग भय से मुक्त होगें? अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने, काम करने, खाने-पीने, स्वेच्छा से जीवनसाथी चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे? क्या गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं, को परिपूर्ण करने के प्रयास के लिए स्वतंत्र होंगे?
या
क्या भारत उस विभाजनकारी, विध्वंसकारी विचारधारा से संचालित होगा जो लोगों के अधिकारों को, संस्थाओं को, विविधतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्ववादी स्वस्थ मतभिन्नता के विचार को, जो कि भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक समाज और देश की आत्मा है, रौंदकर छिन्न-भिन्न कर देगा?

क्या भारत विकास की लहरों के साथ, अपने सभी नागरिकों, को ऊपर उठाकर, उन्हें गरीबी के कुचक्र से मुक्ति दिला पायेगा या भारत, धन-संपत्ति और शक्ति की असमानताओं से पहचाना जाने वाला राष्ट्र बनकर रह जायेगा?

पिछले 5 वर्ष, भारत तथा भारतीयता के लिए विनाशकारी रहे हैं। युवाओं का रोजगार छिन गया है। किसान उम्मीद खो चुके हैं, व्यापारियों का कारोबार छिन्न-भिन्न हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने, अपना आत्मविश्वास खो दिया है, महिलाओं में सुरक्षा की भावना का ह्रास हुआ है, वंचित समुदायों ने अपने पारंपरिक अधिकार खो दिये हैं, संस्थाओं ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है।

इन सबसे इतर जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वह यह है कि आम जनता के बीच प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीमंडल के "शब्दों" ने अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने हमें केवल आडंबर से परिपूर्ण किन्तु खोखले वायदे, असफल कार्यक्रम, झूठे आंकड़े, भय और नफरत का वातावरण दिया है।

गंभीर संकट के इस दौर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पिछले पांच वर्ष के दुःस्वप्न से मुक्ति का वादा करती है। इस घोषणा पत्र के द्वारा कांग्रेस, अपने आपको, आपके सम्मुख, एक मात्र राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है, एक विकल्प जो सत्य, स्वतंत्रता, गरिमा, आत्मसम्मान, सौहार्द और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट है। हम भारत को मजबूत और एकजुट बनाने, और न्यायपूर्ण व समृद्ध समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

हमारा घोषणा पत्र "जनता की आवाज को सुनना" जैसे उच्च विचार एवं दर्शन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह किसी एक व्यक्ति के "मन की बात" नहीं है बल्कि लाखों-करोड़ों देशवासियों की सामूहिक आवाज है।

हमने जनता की अकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए सभी आधुनिक साधन (वेबसाइट, व्हाटसएप, ईमेल, ऑनलाइन याचिकांए) तथा परंपरागत तरीके, नागरिकों, हितधारकों, विशेषज्ञों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक चर्चा की तथा उस निष्कर्ष को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है।

अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच आप में से कई लोग, देश की कम से कम 16 भाषाओं तथा आपके आस-पास आसानी से उपलब्ध साधनों के माध्यम से, कांग्रेस के साथ बातचीत में शामिल हुए हैं। हमारी घोषणा पत्र समिति ने आम नागरिकों के साथ 121, तथा किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टर, वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्वानों के साथ 53 परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये। हमने 24 राज्यो और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक स्थानों में परामर्श आयोजित किये। हमने 12 से अधिक देशों के अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात और चर्चा की।

मैं व्यक्तिगत रूप से, देश के कोने-कोने में जाकर लोगों से मिलता हूं और उनकी बातों विचारों को सुनता हूं, परिणामस्वरुप, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अंकित प्रत्येक शब्द, आपकी आवाज और करोड़ो भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक कार्ययोजना है। इस घोषणापत्र को बनाने में आपकी प्रेरणा, आपकी आकांक्षा का योगदान है। यह घोषणापत्र एक जीवित दस्तावेज है। इस घोषणापत्र को अब आपके समर्थन और आपके मूल्यवान वोट की जरूरत है।

हम अपने घोषणा पत्र के क्रिन्यान्वयन/कार्यान्वयन की स्थिति पर, प्रत्येक वर्ष, सार्वजनिक रूप से देश के लोगों के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हम एक स्वतंत्र सोशल ऑडिट ग्रुप बनायेंगे, जो इस बात का आंकलन करेगा कि हमने अपने वायदे किस हद तक और कैसे पूरे किये हैं।

**यह हमारी प्रतिबद्धता है,**
**कांग्रेस जो वायदा करती है,**
**उसे निभाती है।**

**राहुल गांधी**
अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

# फैसले की घड़ी

2019 के आम चुनाव महात्मा गाँधी जी की 150वीं जयन्ती वर्ष के दौरान हो रहे हैं। यह वक्त हमें याद दिला रहा है कि यह चुनाव दो विपरीत विचारधाराओं के बीच का चुनाव भी है। जहाँ एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है, जिसने देश में एक मजबूत, समृद्ध और सौहार्दपूर्ण आधुनिक भारत का निर्माण करते हुए, हर भारतवासी की आंख से आंसू पोंछने का सफल प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ, गोडसे की विचारधारा है, जो भारत के उस विचार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है जिसको प्रतिस्थापित करने के लिए महात्मा गाँधी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था।

पिछले पांच वर्ष में, भाजपा सरकार के मोदी मॉडल के अन्तर्गत इस देश को भारी सामाजिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा के मोदी मॉडल ने, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, किसानों को बर्बाद कर दिया है, छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण बेरोजगारी अपने चरम पर है और इन सबसे ऊपर इस मॉडल ने समाज में वैमनस्यता, नफरत और भय का माहौल पैदा कर दिया है। यह ऐसा मॉडल है जिसने अधिकांश भारतीयों से, उनकी गरिमा, विश्वास और आवाज छीन ली है। यह ऐसा मॉडल है जिसकी भारत को जरूरत नहीं है। यह ऐसा मॉडल है जिसे सभी भारतीयों को अस्वीकार करना चाहिए।

कांग्रेस का मॉडल भाजपा के मॉडल से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने हमेशा से सुधारात्मक विकास, समावेशी वृद्धि और उत्तरदायी शासन दिया है जिसने भारतीय गणतंत्र को मजबूत किया है।

2019 का चुनाव भारत के भविष्य के साथ-साथ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज हमारे सामने विकल्प बिलकुल स्पष्ट हैं -

हम क्या चुनते हैं– स्वतंत्रता या भय ?
हम क्या चुनते हैं– सद्भाव या घृणा ?
हम क्या चुनते हैं– समावेश या बहिष्करण ?
हम क्या चुनते हैं– भाईचारा या भेदभाव ?
हम क्या चुनते हैं– गरिमा या उत्पीड़न ?
हम क्या चुनते हैं– सबका विकास या चंद लोगों की दौलत ?
हम क्या चुनते हैं– परिणाम या जुमला ?
हम क्या चुनते हैं– न्याय या अन्याय ?

हमारे सहयोगी और अन्य प्रगतिशील राजनैतिक दल, चुनाव के इस महत्वपूर्ण क्षण के महत्व को समझते हैं, इसलिए हम सब भाजपा नेतृत्व वाले गठबन्धन को हराने और राष्ट्र को पुनः सामाजिक सौहार्द और विकास की पटरी पर लाने के लिये एकजुट हुए हैं।

इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

## कांग्रेस पुनः क्यों ?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे द्वारा किये गये विकास कार्यों के आंकड़े स्वयं बताते हैं। हम पहले भी देश के लोगों को समृद्धि और विकास के पथ पर लेकर चले हैं, और हम पुनः देश को प्रगतिपथ पर ले जाने के लिए संकल्पवद्ध हैं।

अगले कुछ दिनों में हमारे सामने, एक चुनावी चुनौती है जो आने वाले कई दशकों के लिए भारत का भविष्य तय करेगी। भारत ने पहले भी इस तरह की गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसी अनेक चुनौतियों का आगे बढ़कर मुकाबला किया है और हर बार भारत ने शानदार जीत हासिल की है।

कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व किया है और सफलता प्राप्त की है। हमने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है और उसे अपने खून पसीने से सींचा है। हमने देश को एक दूरदर्शी संविधान निर्माण करने और अपनाने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है, एक संविधान जिसमें सामाजिक-आर्थिक-सहभागिता और सौहार्द की भावना निहित है। हमनें देश के लोकतंत्र की रक्षा और पहरेदारी करने वाली संस्थाओं की स्थापना की है, और हमने देश को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया है जो हर बार, हर प्रकार की चुनौती की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके विपरीत भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को अभूतपूर्ण नुकसान हुआ है।

कांग्रेस देश के संविधान और संस्थानों पर आम जनता के विश्वास की पुर्नस्थापना करेगी। **हमने ऐसा पहले भी किया है, और हम इसे पुनः करेंगे।**

कांग्रेस ने समृद्धता और उत्पादकता पर आधारित, आधुनिक भारत का निर्माण किया है। हमने आई.आई.टी., आई.आई.एम., अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) सी.एस.आई.आर. संस्थान और प्रयोगशालायें, शैक्षणिक और वैज्ञानिक शोध संस्थाऐं स्थापित की हैं, जिन्होनें भारतीयों की बुद्धिमता और प्रतिभा को नई चमक और ऊंचाई दी है। हरितक्रांति और स्वेतक्रांति, जिसने ग्रामीण भारत के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किये हैं, को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किये हैं, जिन्होंने तकनीकि और औधोगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने भारत को परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति संपन्न देश बनाया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व किया है, और भारत को सूचना प्रौधोगिकी के शीर्ष पर पहुंचाया है।

दूसरी तरफ भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, कृषि उपज की कीमत पिछले 10 साल में सबसे कम है, उद्यमों द्वारा ऋण दर पिछले 20 साल में, सबसे कम है, और बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे अधिक।

निर्यात और निवेश, ऐतिहासिक तौर पर अपने निम्न स्तर पर है, परियोजनाएं बड़े पैमाने पर रूकी पड़ी हैं, और कारखानों के बन्द होने से विनिर्माण क्षेत्र में भारी रूकावट आई है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्र्टाटअप इंडिया पूरी तरह असफल हो गये हैं। पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, उपभोक्ताओं में निराशा का भाव है जिसके कारण सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। किसान हर प्रकार से नाउम्मीद हो चुका है, और अत्यधिक तनाव में है। कुछ वर्ष पूर्व का एक आकांक्षापूर्ण भारत आज एक हताश और निराश भारत बन चुका है। 21वीं सदी में, विश्वस्तर पर पुनः भारत को एक मजबूत और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, कांग्रेस एक बार फिर देश की व्यवस्था को पटरी पर लायेगी,

**हमने पहले भी किया है और हम इसे फिर से करेंगे।**

कांग्रेस ने उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की शुरूआत की, यह कांग्रेस ही है जिसने सफल मध्यमवर्ग और नये उद्यमी वर्ग का निर्माण किया, यह कांग्रेस ही है जिसने गरीबजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का व्यापक आधार तैयार करने के लिए अधिकार आधारित कानूनों को संसद से पारित करवाया। यह कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ही थी जिसने 2004 से 2014 के दौरान, 14 करोड़ भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला।

दूसरी ओर मोदी जी ने, मनमाने ढ़ंग से अकेले ही, नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी से उत्पादन समाप्त हो गया, लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया, उद्यमी-उद्यम और मजदूर कर्ज के जंजाल में फंस गये और सबसे बड़ी बात देश की जनता को 4 लाख करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ा। उसके पश्चात, बिना सोचे-समझे और जल्दबाजी में जी.एस.टी. को लागू कर दिया, जिसके नियम उटपटांग तरीके से लगभग हर रोज बदले गये हैं, अधिकारियों को दी गई मनमानी शक्तियों के कारण इंस्पेक्टर राज की वापसी हो गई है। कर आतंकवाद ने हमारे उद्यमियों की आत्मा को कुचल दिया है, इन सबके कारण किसानों, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् मजदूरों का जीवन और आजिविका पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि पिछले पांच साल में जो ज्यादातियां या गलतीयां हुई हैं उन्हें सुधार कर एक ऐसी अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित किया जायेगा, जो “सबके लिए हो”, और जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाये।

**हमने यह पहले भी किया है और हम इसे दुबारा भी करेंगे।**

जय जवान, जय किसान के नारे से प्रेरित होकर, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में देश
ने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त की, 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को निर्णयात्मक रूप से पराजित करके बांग्लादेश को मुक्त करवाया। हमने देश के भीतर पनपते आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए, देश में सौहार्दपूर्ण माहौल, प्रेम और भाईचारा सुनिश्चित करने के साथ-साथ, अलगाववादी ताकतों को समाप्त किया। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्री राजीव गाँधी और
श्री बेअन्त सिंह ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अमूल्य प्राणों का बलिदान दिया।

दूसरी तरफ भाजपा सरकार की नीतियां, एक व्यक्ति की सनक पर केन्द्रित रही हैं जिसमें विदेश मंत्रालय और विदेश नीति के जानकारों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। यूपीए सरकार की वर्षों की मेहनत पर पानी फेरते हुए, भाजपा सरकार ने आन्तरिक समस्याओं को बढ़ाया है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश की मुख्यधारा से अलग-थलग करते हुए, राज्य की सुरक्षा की स्थिति को बद् से बदतर कर दिया है। छद्म राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और सुरक्षा बलों की सफलता का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मोदी सरकार के तमाम दावों और खुद की पीठ थपथपाने के शौक के बावजूद, सच यह है कि जी.डी.पी. के सापेक्ष रक्षा बजट के लिए पिछले 50 साल
में सबसे कम धन आवंटित किया गया है। कांग्रेस सशस्त्र बलों के गौरव और सम्मान को पुनःस्थापित करेगी, सेना को राजनीति से दूर रखेगी, विदेशनीति की बागडोर पेशेवर विदेशनीति विशेषज्ञों के हाथ में सौंपते हुए, एक शक्तिशाली और दृढ़ भारत की नींव को पुनः मजबूती प्रदान की जायेगी।

**हमने ऐसा पहले भी किया है, और हम इसे दुबारा भी करेंगे।**

**हम क्या चुनते हैं— स्वतंत्रता या भय ?**
**हम क्या चुनते हैं— सद्भाव या घृणा ?**
**हम क्या चुनते हैं— समावेश या बहिष्करण ?**
**हम क्या चुनते हैं— भाईचारा या भेदभाव ?**
**हम क्या चुनते हैं— गरिमा या उत्पीड़न ?**

# विस्तृत कार्ययोजना

# काम— रोज़गार और विकास

हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार ... कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नयी नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता, मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब 10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय पुनर्निर्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में तीन साल की अवधि तक छूट, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

# 01 रोज़गार

जहां एक तरफ बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार सृजन अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षो में बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है, सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार यह 45 साल के उच्चतम् स्तर 6.1 प्रतिशत तक पहुँच गई है। जबकि सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी की दर 7.2 प्रतिशत है। फरवरी के अन्त तक, लगभग 3.1 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में थे, आकंडे बता रहें कि कुल रोजगार में कमी आई है, श्रम भागीदारी दर में कमी आई है और बड़े पैमाने पर वर्तमान नौकरियां खत्म हो रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी और मौजूदा नौकरियों के खत्म होने से, सभी वर्ग महिला, युवा, छोटे व्यापारी, व्यवसायी, किसान, दिहाड़ी मजदूर और खेतिहर मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

**01.** कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नयी नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वचन देती है।

**02.** उद्योग और सेवा के क्षेत्र के विकास और नयी नौकरियों के सृजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी को रेखांकित करते हुए कांग्रेस एक नया उद्योग, सेवा और रोजगार मंत्रालय का गठन करेगी।

**03.** 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा। कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाये।

**04.** हम सरकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति करेगें, जिनका कार्य सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सहायता करना होगा।

**05.** सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षा से आवेदन शुल्क को समाप्त किया जायेगा।

**06.** कांग्रेस वायदा करती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों का व्यापक विस्तार करते हुए, प्रशिक्षित अध्यापकों, डाक्टर, नर्स, परा-चिकित्सा तकनीशियनों, अनुदेशकों और प्रशासकों के लिए लाखों नये रोजगारों का सृजन करेगी।

**07.** हम विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर छोटे और मध्यम स्तर के (MSME) के विकास को तेज गति प्रदान करने के लिए, नयी इकाईयों की स्थापना के साथ-साथ, पुरानी इकाईयों को विस्तार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और कलस्टर शहरों में, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना करेंगे।

**08.** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, प्रेरक, अनुदेशक, सहित अनेक राज्य सहायक कार्यकर्ता सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं। हम संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन में वृद्धि करेंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन राज्य सहायक कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से अधिक मिले तथा इनके सभी बकायों का तुरन्त भुगतान हो। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर, इनके वेतन, कार्य स्थिति सहित सभी लंबित और विवादास्पद मुद्दों को जानने-समझने और उनका हल ढूढ़ने का हरसंभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा, हम आशा कार्यक्रम का विस्तार करेंगे तथा 2500 से अधिक आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे।

**09.** कृषि क्षेत्र के बाहर, कुल रोजगार का 90 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मंझले उद्योग (MSME) का है, नियोजित पूंजी के आधार पर एम.एस. एम.ई. की परिभाषा श्रमिकों के खिलाफ है, कांग्रेस, एम.एस.एम.ई. की परिभाषा को रोजगार से जोड़ेगी, कोई भी व्यापार जिसमें 10 से कम कर्मचारी हैं, उसे माइक्रो, 11 से 100 व्यक्तियों वाले उपक्रम को लघु और 101 से 500 व्यक्तियों वाले उपक्रम/व्यवसाय को मध्यम श्रेणी में रखा जायेगा।

**10.** हम इंटरप्राइज सपोर्ट एजेंसी की स्थापना करेंगे, जिसका काम होगा, हर प्रकार की सहायता अर्थात परामर्श, उष्मायन (Incubation), प्रोद्योगिकी तक पहुँच, वित्त की व्यवस्था, घरेलू और निर्यात बाजार, नये उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक समर्थन को, स्टार्ट-अप सहित, सभी उद्यमियों तक उनके व्यापार में मदद के लिए पहुँचाना।

**11.** हम छोटे और मध्यम स्तरीय उद्यमियों को नियामक राहत प्रदान करेंगे। 1 अप्रैल, 2019 या स्थापना की तारीख से 3 साल की अवधि तक, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में छूट का वायदा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब तक वे स्थिर/सक्षम नहीं हो जाते तब तक 'नियमों और कानूनों' से राहत और पूर्ण मुक्ति।

**12.** कांग्रेस कुछ आवश्यक सामान और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मास इंटरप्रेन्योरशिप और सहायक इंटरप्रेन्योरशिप जैसे जांचे-परखे मॉडल को दोहराने को प्रोत्साहित करेगी।

**13.** निर्माण, कपड़ा, चमड़ा, रत्न और गहने, मनोरंजन, पर्यटन और खुदरा व्यवसाय रोजगार सृजन के सबसे बड़े क्षेत्र हैं, हम प्रत्यक्ष कर को कम करके तथा सी.एस.आर. फण्ड में दिये जाने वाले योगदान को कम करके, उन उद्यमों और व्यवसायों को पुरस्कृत करेंगे, जो नयी नौकरियों का सृजन करेंगे।

**14.** हम उन व्यवसायों को विशेष राजकोषीय प्रोत्साहन देंगे, जहाँ कुल रोजगार का कुछ प्रतिशत सिर्फ महिलाओं को दिया जायेगा।

**15.** निर्यात से रोजगार पैदा होता है, इसलिए हम निर्यात उन्मुख उद्योगों को करों में छूट के अलावा अन्य तरीकों से भी प्रोत्साहित करेंगे।

**16.** पर्यटन रोजगार का सृजन करते हैं, हम पर्यटन संबंधी व्यवसायों की सहायता और सहयोग करने के लिए पर्याप्त पूंजी के साथ पर्यटन विकास बैंक की स्थापना करेंगे, जो कम लागत में पर्यटन संबंधी व्यवसाय को लम्बे समय के लिए ऋण उपलब्ध करवायेगा, हम पर्यटन व्यवसाय को कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय की दरों में छूट देंगे।

**17.** हम महसूस करते हैं कि लाखों अर्धकुशल युवाओं (जो स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाये) के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है, इसके लिए ग्राम-सभाओं और स्थानीय निकायों के माध्यम से दो विशेष परियोजनाएं चलाई जायेंगी, जिनके जरिये लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे।

- **i.** जलाशयों का निर्माण एवं मरम्मत (जलाशय पुनर्निर्माण अभियान)
- **ii.** बंजर एवं अनुपयोगी भूमि का पुनर्रुद्धार एवं नवीनीकरण (बंजर भूमि पुनर्रुद्धार अभियान)

**18.** कांग्रेस 100 से अधिक कर्मचारी/श्रमिकों वाले उद्यमों को कहेगी कि वे अपने उपक्रमों मे प्रशिक्षु/इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरूआत करके युवाओं को कौशल प्रदान करें प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कुछ छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान करें और उनके व्यवसाय में जो भी नयी नौकरी उत्पन्न हो उनमें इन प्रशिक्षित युवाओं को समाहित करें। इस अतिरिक्त "प्रशिक्षु/इंटर्नशिप कार्यक्रम" को लागू करने के लिए कंपनी नियम 2014 (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) में संशोधन करके ऍप्रेन्टिसशिप को नये कार्य के रूप में जोड़ेंगे।

19. नयी प्रोद्योगिकी के विकास के साथ पैदा होने वाली नयी नौकरियों की हम पहचान करेंगे और युवाओं को नये प्रकार की नौकरियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

## 02 उद्योग

कांग्रेस ने 1991 में नयी औद्योगिक नीति के साथ उदारीकरण की शुरूआत की थी। आज वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस एक दूरदर्शी प्रगतिशील औद्योगिक नीति बनायेगी।

भाजपा सरकार ने सिर्फ खोखले नारे लगाये हैं, औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण दर या उद्योग क्षेत्र के विकास के आंकड़े निराशाजनक सच्चाई को बयान कर रहे हैं। कांग्रेस उद्योग जगत के इन निराशाजनक आंकड़ों को बदलने का वायदा करती है।

01. कांग्रेस विनिर्माण क्षेत्र में जी.डी.पी. की मौजूदा हिस्सेदारी 16 प्रतिशत को अगले पांच वर्ष में 25 प्रतिशत तक करके भारत को विश्व का निर्माण केन्द्र बनाने का वायदा करती है, कांग्रेस का विश्वास है कि कोई भी चीज जो दूसरे देशो में बन सकती है उसे भारत में भी बनाया जा सकता है, कांग्रेस वायदा करती है कि इस प्रकार की नीतियां, नियम, कर (टैक्स) अपनाये जायेंगे, जो उद्यमियों को पुरस्कृत करेंगी, जिससे कि भारत विनिर्माण क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु बन सके।
02. कांग्रेस राज्य सरकारों के सहयोग तथा पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचे के साथ, नये औद्योगिक शहर स्थापित करेगी तथा इन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादों के लिये विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने का काम करेगी।
03. हम उस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनायेंगे जो भारत को इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं गहने, दवाई एवं औषधी तथा रासायनिक पदार्थ उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनायेंगे।
04. हम उस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनायेंगे, जो धातु, इस्पात, सीमेंट, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कम्प्यूटर हार्डवेयर, गाड़ियां (ऑटोमोबाइल) निर्माण में, भारत को पुनः नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित कर सके।
05. कांग्रेस "विश्व के लिए निर्माण" (मेक फॉर द वर्ल्ड) नीति की घोषणा करेगी और देशी-विदेशी कम्पनियों को आंमत्रित करेगी कि वे सिर्फ "निर्यात के लिए निर्माण क्षेत्र" में निवेश करें, इसके लिए किसी भी तरह के अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाये जायेंगे और कॉरपोरेट करों को भी कम किया जायेगा।
06. जैसा कि हमने 2004 से 2014 के बीच किया था, हम रूकी हुई परियोजनाओं को शुरू करेंगे जिससे कि ठहरी हुई पूंजी पुनः वापिस आकर नये रोजगार उत्पन्न करने के काम में लग सके।
07. लाखों लोगों को रोजगार देने वाले हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे परंपरागत व्यवसायों में उत्पादन और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा।
08. कांग्रेस छोटे और मध्यम व्यवसाय को उन्नत तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए पेटेंट हासिल करके एक पेटेंट संग्रह (Pool) बनायेगी।
09. नियमों की आड़ में किये जा रहे नियत्रंण ने पूरी प्रणाली को पंगु बना दिया है। कांग्रेस भाजपा द्वारा पिछले पांच साल में बनाये गये नियमों और विनियमों की त्वरित समीक्षा करेगी तथा उद्योगों और व्यवसाय को नियत्रंण मुक्त करने के लिए जहाँ आवश्यक होगा बदलाव करेगी।
10. पिछले पांच वर्षों में कर अधिकारियों को असाधारण तरीके की विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, जिनसे उद्योग और व्यवसाय जगत "कर आतंकवाद" महसूस करते हुए डर से थर्रा रहा है। जांच एजेसियां कानूनों की गलत व्याख्या करके व्यवसायियों में डर पैदा कर रही हैं। कांग्रेस इस प्रकार के मनमाने कार्यों और विवेकाधीन शक्तियों की समीक्षा करेगी, ताकि उद्योग और कारोबारी जगत को स्वतंत्र और शान्तिपूर्ण तरीके से काम करने की आजादी मिल सके।

**वर्ष 2030 तक गरीबी का नामोनिशान मिटाने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना की शुरुआत करेगी, भारत की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को हर साल बहत्तर हजार रुपये (72,000) दिये जायेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य होगा कि कोई भी "भारतीय परिवार पीछे न छूट जाये"।**

# 03 आधारभूत ढ़ांचा

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या कमजोर बुनियादी ढ़ाँचा है। दोषपूर्ण डिजाइन, ठीक से न बनाया, अपर्याप्त क्षमता तथा बुनियादी ढांचे के रखरखाव का निम्नतर स्तर ने, भारत की विकासदर को कम कर दिया है।

कांग्रेस उचित नियोजन, प्रोद्योगिकी, गुणवत्ता के साथ-साथ जवाबदेही तय करते हुए, इन कमियों को दूर करेगी।

बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए सभी उपलब्ध मॉडल - सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी का इस्तेमाल किया जायेगा।

सड़क, रेलवे मार्ग और विद्युत अति आवश्यक बुनियादी सुविधा क्षेत्र होने के साथ-साथ आम जनता के हित के लिए आवश्यक है।

**01.** कांग्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति को बढ़ाते हुए, राजमार्गों का विकास करेगी, राजमार्गों के निर्माण में उनके डिजायन, गुणवत्ता, रखरखाव तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

**02.** कांग्रेस वायदा करती है कि रेलवे के पुराने ढ़ांचे को व्यापक रूप से आधुनिक बनाया जायेगा। सभी नई परियोजनाओं में गुणवत्ता और डिजाइन के अर्न्तराष्ट्रीय मानकों को आधार रूप से लागू किया जायेगा।

**03.** सड़क और रेल मार्गों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए परीक्षित और विश्वसनीय पी.पी.पी. मॉडल का व्यापक इस्तेमाल किया जायेगा।

**04.** कांग्रेस स्पेक्ट्रम सहित प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण (खोज) और निष्कर्षण (खनन) नीति की समीक्षा करके, नई नीति बनाएगी और लागू करेगी। नई नीति में पूंजी निवेश, उत्पादन, पारदर्शिता, दक्षता, जोखिम और पारितोषक, पर्यावरण, जवाबदेही, प्रतिस्पर्धा क्षेत्र विशेष के नियम-कानून और इंटर जनरेशनल इक्विटी को विशेष महत्व दिया जायेगा।

**05.** हम मौजूदा बिजली संयंत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा नीति बनायेंगे, ताकि वे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करें। इसके अलावा सौहार्दपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा।

**06.** कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय उर्जा के उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन देगी। ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का स्वामित्व और उससे होने वाली आय स्थानीय निकायों के हिस्से में जायेगी। हर गांव और हर घर का सही मायने में विद्युतीकरण किया जायेगा, दीर्घ अवधि में हमारा प्रयास रहेगा कि बिजली और सौर ऊर्जा एल.पी.जी. के विकल्प के रूप में घरों में इस्तेमाल हो।

# 04 शहर-शहरीकरण और शहर नीति

भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, देश की कुल आबादी का 34 प्रतिशत कस्बों और शहरो में निवास करता है और यह संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की तरह भारत के शहर भी विकास के केन्द्र बन सकते हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के स्थान पर भाजपा सरकार द्वारा लाये गये, स्मार्ट सिटी अभियान पूरी तरह से असफल रहा है, जिसमें बेवजह पैसे की बर्बादी के अलावा कोई लाभ नहीं हुआ है।

**01.** कांग्रेस व्यापक परामर्श के बाद एक शहरीकरण पर एक व्यापक नीति बनायेगी। हम शहरों और कस्बों से संबंधित मुद्दों जैसे शहर प्रशासन आजीविका, शहरी परिवहन, आपदा प्रबन्धन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आदि मुद्दो को संबोधित करेंगे।

**02.** कांग्रेस राज्य सरकारों को नये शहर, उप-शहर तथा कस्बों के निर्माण के लिए विशेष सहायता देगी।

**03.** कांग्रेस शहरों के लिए एक नये प्रशासनिक मॉडल का निर्माण करेगी, जिसमें महापौर और परिषद् सदस्य सीधे जनता के द्वारा, 5 वर्ष के लिए चुने जायेंगे। शहर प्रशासन महापौर और परिषद् के प्रति जवाबदेह होगा, इस नये मॉडल में तकनीकि विशेषज्ञो की भर्ती करके, नगर पालिका के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहु-विशेषज्ञ टीम के निर्माण की व्यवस्था होगी।

**04.** हम संविधान के 74वें संशोधन को लागू करके, स्थानीय निकायो (नगरपालिका, निगम) में निहित शक्तियों, कार्यों और आर्थिक निधियों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें।

**05.** कांग्रेस शहरी "गरीबों के लिए आवास का अधिकार" सुनिश्चित करने का वायदा करती है तथा मनमाने ढ़ंग से होने वाली बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देती है। हम बेघरों के लिए रैन बसेरा बनायेंगे, ताकि कोई खुले में न सोये।

**06.** कांग्रेस झुग्गीवासियों को पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए झुग्गी-झोपडी विकास एवं सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी। झुग्गी-झोपड़ी और कच्चे घरों को बदलकर सुविधा सम्पन्न पक्के आवास, उपलब्ध करवाने के साथ ही सड़क, स्वच्छता जैसे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जायेगी।

**07.** कस्बों और शहरों में सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगो प्रवासियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित बनाया जायेगा। कस्बों और शहरों में सरकारी और नगरपालिका की नौकरी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती किया जायेगा।

**08.** कांग्रेस मेट्रो रेल, उपनगरीय रेल, विद्युत संचालित वाहन, सार्वजनिक बस परिवहन, किराये के वाहन और साझा वाहनों के लिए नीति (शहरो के लिए परिवहन नीति) बनायेगी और लागू करेगी, हम गैर मोटर चालित परिवहन जैसे पैदल चलना, साइकिल आदि को प्रोत्साहित करेंगे।

## 05 ग्रामीण विकास

कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पुल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली और स्कूल सहित सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार का वायदा करती है।

**01.** हम सेक्टर विशिष्ट योजनाओं में रह गयी कमियों को ठीक करने के लिए पंचायतो और नगर निकायों की क्षमता का विकास करेंगे, ताकि वे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के डिजाइन और निर्माण कार्य को संपन्न कर सकें। कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण के लिए "ग्रामीण बुनियादी ढ़ांचा कोष" का निर्माण करेगी, जो एक सतत् कोष होगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ खत्म नहीं होगा। यह कोष पंचायतों और नगर निगमों द्वारा विशेष ढ़ांचागत परियोजनाओं को आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध करायेगा।

**02.** हम मनरेगा-3.0 का शुभारंभ करेंगे, जो विशेषतौर पर जल सुरक्षा, मिट्टी की गुणवत्ता, और किसानों को होने वाले अन्य संकट से निपटने में कारगर होगा, इसके अन्तर्गत हम -

- **i.** जिन ब्लॉकों या जिलों ने 100 दिन के कानूनी रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, वहाँ पर रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 की जायेगी।
- **ii.** मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले श्रम का इस्तेमाल "जलाशय निर्माण एवं पुनर्जीवन अभियान" तथा बंजर भूमि विकास और उत्थान अभियान में किया जायेगा।
- **iii.** मनरेगा कोष का इस्तेमाल विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र शौचालय खेल का मैदान, पुस्तकालय जैसी सार्वजनिक परिसंपतियों के निर्माण में किया जायेगा।

**03.** कांग्रेस 250 जनसंख्या तक वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का वायदा करती है। वर्ष 2021 तक सभी गांवो में ब्रॉडबैन्ड सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी।

**04.** भाजपा सरकार के दौरान उपेक्षित राष्ट्रीय पेयजल मिशन का आंवटन बढ़ाकर उसे सुदृढ़ किया जायेगा।

**05.** हम बेघरों तथा भूमिहीन (जिसके पास घर बनाने की भूमि न हो) को घर देने के लिए "वासभूमि का अधिकार" कानून बनायेंगे (Right to Homestead Act)।

## 06 अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र

कांग्रेस असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों और स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयोजन करेगी।

**01.** छोटे और मध्यम उद्यमों, जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों जैसे कूड़ा बीनने वाले और कबाड़ी का कार्य करने वाले लोगों को संगठित होने का मौका देते हैं, को कांग्रेस सरकार विशेष प्रोत्साहन देगी।

**02.** कांग्रेस असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों को न्यनतम् मजदूरी सुनिश्चित करेगी।

**03.** कांग्रेस आई.एल.ओ. के कन्वेंशन 87 (संगठन निर्माण की छूट) और आई.एल.ओ. कन्वेशन 98 (संगठन करने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी) का समर्थन और पुष्टि करेगी।

**04.** पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 को अक्षरशः लागू किया जायेगा।

**05.** कांग्रेस प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध करवायेगी जिससे कहीं पर भी अर्थात जहाँ भी मजदूर कार्य के लिए प्रवास करता हैं, में राशन ले सकेंगे।

**06.** कांग्रेस सभी प्रमुख शहरों और कस्बो में आजीविका केन्द्र स्थापित करने का वायदा करती है, इन आजीविका केन्द्रों में अप्रवासी श्रमिक स्वयं को पंजीकृत करवा सकेंगे। जिसके माध्यम से वे -

- **i.** सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
- **ii.** सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- **iii.** अपने बच्चों को बालगृह और स्कूलो में दाखिल करवा सकते हैं।
- **iv.** कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की सेवाएं ले सकते हैं।
- **v.** कानूनी सुविधाएं ले सकते है।

# दाम— सबके हितार्थ अर्थव्यवस्था

हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपने जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को “कर्ज मुक्ति” अर्थात Freedom From Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं। कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तुत करेंगे।

# 07 कृषि, किसान और कृषि श्रमिक

प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "सब कुछ इन्तजार कर सकता है पर कृषि नहीं"।

लेकिन, पिछले पांच वर्षों के भाजपा राज में कृषि क्षेत्र गहरे संकट में चला गया है। पिछले चार साल में उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, फसल खरीद केन्द्र या तो थे ही नहीं या वहाँ पर पूरी तरह से खरीद हुई ही नहीं है, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, कृषि लागत लगातार बढ़ती गई, कृषि ऋण सुविधा अनुपलब्ध थी या अपर्याप्त थी, नोटबन्दी ने नकद आधारित कृषि व्यवस्था को झकझोर दिया है, सहकारी ऋण समितियों तथा सहकारी बैंकों ने किसानों की जमापूंजी को सहकारी ऋण में परिवर्तित करने के अधिकार से किसानों को वंचित कर दिया, ज्यादातर व्यापार की शर्तें कृषि क्षेत्र के खिलाफ थी, फसल बीमा योजना ने किसानों को लूटकर बीमा कंपनियों की जेब भरी, किसानों और खेतिहर मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली।

कांग्रेस किसानों के दर्द को समझती और महसूस करती है।

**01.** अपने चुनाव वायदे के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों का कर्ज माफ किया गया। कांग्रेस अन्य राज्यों में भी कृषि ऋण माफ करने का वायदा करती है।

**02.** हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपने जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को "कर्ज मुक्ति" अर्थात Freedom From Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं।

**03.** कृषि ऋण एक दीवानी (सिविल) मामला है, हम, किसी भी किसान, जो कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है, के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देंगे।

**04.** कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तुत करेंगे।

**05.** कांग्रेस कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग "कृषि विकास और योजना आयोग" की स्थापना करेगी, जिसमें किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री सम्मलित होंगे, यह आयोग सरकार को सलाह देगा कि कैसे कृषि को व्यवहार्य, प्रतिस्पर्धी और फायदेमन्द बनाया जा सकता है। सामान्यतः आयोग की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। यह आयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग का स्थान लेगा।

**06.** कांग्रेस "कृषि श्रमिकों और सीमान्त किसानों" के लिए बनने वाली नीतियों और कार्यक्रम के लिए सलाह देने हेतु एक आयोग स्थापित करेगी, यह आयोग मज़दूरी दर में वृद्धि के साथ बागवानी, फूलों की खेती, डेयरी और मुर्गीपालन जैसे सहायक कृषि कार्यों के लिए नीतियां ओर कार्यक्रम बनाने मे सलाह देगा और सहयोग करेगा।

**07.** हम भाजपा सरकार की असफल कृषि बीमा योजना को पूरी तरह से बदल देंगे। जिसने किसानों की कीमत पर, बीमा कंपनियों की जेब भरी है तथा बीमा कंपनियों को निर्देशित करेंगे कि वो "न लाभ न हानि" (No Profit - No Loss) के सिद्धान्त को अपनाते हुए फसल बीमा उपलब्ध करवाये तथा उसी के आधार पर किस्त लें।

**08.** कांग्रेस राज्य सरकारों के सहयोग से भूमि स्वामित्व और भूमि किरायेदारी के रिकार्ड का डिजिटाइजेसन (अंकरूपण) करेगी, और विशेषकर महिला कृषकों के स्वामित्व और किरायेदारी के अधिकार को स्थापित करते हुए यह सुनिश्चत करेगी कि महिलाओं को कृषि संबधित योजनाओं का लाभ मिले।

**09.** कृषि कार्यों हेतु तकनीकी निवेश और बाज़ार उपलब्ध करवाने के लिए कांग्रेस उत्पादक कंपनियों ओर किसान संगठनों के निर्माण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी।

**10.** हम कृषि लागत की समीक्षा करेंगे और जहाँ आवश्यक हुआ वहां सब्सिडी देंगे तथा साथ ही साथ हम कृषि कार्य हेतु मशीनरी किराये पर लेने की सुविधा स्थापित करेंगे।

**11.** कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त हो जायें।

**12.** हम बड़े गांवों और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचे के साथ में किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहाँ पर किसान बिना किसी प्रतिबन्ध के अपनी उपज बेच सकें।

**13.** कांग्रेस कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए नीति बनाएगी, जो किसानों और किसान उत्पादक समूहों/कंपनियों को उनकी आय वृद्धि के लिए सहायता करेगी।

**14.** कांग्रेस देश के प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोर तथा खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीतियां बनायेगी।

**15.** हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करके और अधिक मजबूत ओर बेहतर बनायेगें तथा कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम ज्ञान और कार्यप्रणाली को लागू करेंगे।

**16.** कांग्रेस पी.डी.एस., आई.सी.डी.एस. और मध्याह्न भोजन के लिए खरीदे जा सकने वाले, तथा स्थानीय स्तर पर उपजने वाले मोटे अनाजों और दालों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

**17.** कांग्रेस कृषि विविधिकरण द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बागवानी, मछलीपालन और रेशम कीटपालन के लिए एक बड़े कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का वायदा करती है। हम देश में डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों को दोगुना करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरूआत करेंगे।

**18.** कांग्रेस जैविक खेती को बढ़ावा देगी, किसानों को मिश्रित उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देगी तथा जैविक उत्पादों के सत्यापन में सहायता करके उचित मूल्य उपलब्ध करवाने का वायदा करती है।

**19.** कांग्रेस कृषि सम्बन्धित अध्यापन, अनुसंधान और विकास, कृषि सम्बधी मौलिक विज्ञान, व प्रायोगिक विज्ञान और तकनीकी के लिए आवंटित धन को अगले पांच साल में दोगुना करेगी, हम देश के प्रत्येक राजस्व प्रभाग में कृषि विद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करेंगे।

**20.** कांग्रेस वायदा करती है कि भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुनर्स्थापना अधिनियम-2013 और वनाधिकार अधिनियम - 2006 के क्रियान्वयन में आई विकृतियों को दूरकर, इन अधिनियमों के मूल उद्देश्यों का बहाल करेंगे।

**21.** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनायेंगे जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकेगा।

**22.** पिछले अनुभवों के आधार पर कांग्रेस मनरेगा को नये सिरे से डिजाइन करेगी ताकि:

- **i.** जिन जिलों ने 100 दिन के रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, उनमें रोजगार की गारंटी के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 करेगी।
- **ii.** मनरेगा श्रम और श्रमिकों का इस्तेमाल जलाशय की मरम्मत और निर्माण तथा बंजर भूमि उत्थान अभियान में किया जायेगा।
- **iii.** ग्रामीण स्तर की सामाजिक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कक्षाएं, पुस्तकालय और खेल के मैदानों के निर्माण के लिए मनरेगा का इस्तेमाल किया जायेगा।

# 08 आर्थिक नीति

भारत एक विकासशील देश है जो 2030 तक मध्यम आय वाला देश बनने का इच्छुक है। संपदा सृजन और जन कल्याण हमारे दो प्रमुख लक्ष्य हैं। कांग्रेस का आर्थिक दर्शन एक खुली और उदार अर्थव्यवस्था, धन का सृजन, सतत् विकास, असमानताओं में कमी तथा सभी लोगों के कल्याण पर आधारित है। इस तरह की वृद्धि निजी क्षेत्र कार्य कुशल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली को रेखांकित करके ही आयेगी।

हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी अत्यधिक नियमों में जकड़ी हुई है, संरचनात्मक समस्यायें बरकरार हैं। सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। नियमों ने नियंत्रक का रूप ले रखा है। आर्थिक नीतियों में न्यायालयों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। भाजपा सरकार ने सुधारों के पहिए को उल्टी दिशा में मोड़ दिया है। कांग्रेस इन विकृतियों में सुधार करने, उन्हें पूर्ववत् करने और एक खुली और उदार बाजार अर्थव्यवस्था बहाल करने का वादा करती है।

**01.** राजकोषीय स्थिरता सबसे पहला और प्रमुख कार्य है। राजकोषीय घाटे को कम करना पहला लक्ष्य है।

कांग्रेस भाजपा सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान न देने की प्रवृति को उलट देगी। कांग्रेस 2020-21 तक 3 प्रतिशत सकल घरेलु उत्पाद के लक्ष्य को पूरा करेगी, तथा 2023-24 तक इसी सीमा के नीचे बने रहेगी। जहाँ तक संभव होगा, राजस्व घाटा जी.डी.पी. के 1 प्रतिशत तक रखा जायेगा, बजट के बाहर या बजट के अतिरिक्त जो भी उधार/कर्जा लिया जायेगा, उसका औचित्य के साथ-साथ उधार चुकाने की प्रामाणिकता प्रस्तुत की जायेगी।

**02.** मौद्रिक नीति बनाना रिजर्व बैंक का कार्यक्षेत्र है। भाजपा सरकार द्वारा अनुचित तरीके से रिजर्व बैंक के काम काज में दखल को कांग्रेस पूरी तरह बदल देगी। रिजर्व बैंक अधिनियम 1939 के तहत आर.बी.आई. को मौद्रिक नीति बनाने के साथ-साथ अनेक मामलों में स्वायत्तता मिली हुई है, कांग्रेस सरकार आर.बी.आई. की, इस स्वायत्ता, का सम्मान करेगी। आर.बी.आई. गवर्नर समय-समय पर संसद की समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस वायदा करती है कि सरकार आर.बी.आई. के साथ मिलकर यह सुनिश्चत करेगी कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता के साथ-साथ विकास के लक्ष्य को भी पूरा करने में सहायक हो।

**03.** निरन्तर आर्थिक विकास संपत्ति और संसाधन निर्माण का एक रास्ता हैं। लाखों लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण और सेवा देने का कार्य करते हैं, उनके पास बिना ज्यादा नियमों के दबाव के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। कांग्रेस निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को मान्यता देने, उद्यमशीलता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, उन्नत तकनीक के इस्तेमाल तथा जोखिम उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीति बनायेगी।

**04.** हम वह पार्टी हैं जिसने जी.डी.पी. द्वारा उच्च एवं निरन्तर आर्थिक विकास को मापने के महत्व को बताया, कांग्रेस जी.डी.पी. की उच्च वृद्धि दर पर अपने दृढ़ विश्वास को दोहराती है। इसलिए हमारा मानना है कि आर्थिक विकास के चार प्रमुख घटक अति आवश्यक हैं, और कांग्रेस इनके बारे में अपने स्थिति को स्पष्ट करना चाहती है।

- **i.** निजी निवेश : खुली बाजार अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अवसरों की पहचान करने, संसाधन जुटाने, उन्नत प्रोद्योगिकी को अपनाने के साथ घरेलु और विदेशी बाजार में अपनी भुमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। कांग्रेस निजी क्षेत्र को पूर्ण समर्थन देते हुए उद्यमियो को पुर्नजीवित करने का वायदा करती है।
- **ii.** सरकारी व्यय (पूंजी) : सरकारी पूंजी को सार्वजनिक संपतियों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जलमार्ग, पेयजल स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आन्तरिक सुरक्षा पर पर्याप्त खर्च का वायदा करती है।
- **iii.** घरेलू खपत : एक विकासशील अर्थव्यवस्था में घरेलु खपत में वृद्धि स्वस्थ आर्थिक विकास का सूचक है और इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग अधिक उपभोग करे। यथोचित स्थिर कीमतों के साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। कांग्रेस व्यापारी वर्ग में अपने विश्वास को दोहरायेगी ओर ऐसी नीति बनायेगीं जिससे घरेलु खपत को प्रोसाहन मिले।
- **iv.** निर्यात : कोई देश बिना निर्यात में उच्च वृद्धि किये उच्च आर्थिक विकास को हासिल नहीं कर सकता है। इसका एक उदाहरण 2004 से 2014 का भारत है, कांग्रेस विदेश व्यापार को एक बार फिर से आर्थिक विकास की धुरी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

**05.** कांग्रेस बचतकर्ताओं को पुरस्कृत करके बचत विशेषकर घरेलू बचत को प्रोत्साहन देगी। बचत निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। हमारा लक्ष्य बचत को जी.डी.पी. के 40 प्रतिशत तथा सकल पूंजी निर्माण के 35 प्रतिशत के स्तर पर रखना होगा। हम बैंकों और बीमा कंम्पनियों के साथ मिलकर घरों के लिए सरल वित्तीय उत्पाद तैयार करेंगे।

**06.** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार को अपवाद स्वरूप रखने के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में एफ.डी.आई. का स्वागत किया जायेगा। नियम और कानून न्यूनतम् होंगे। एफ.डी.आई. को राष्ट्रीय तरीके से ढ़ाला जायेगा और घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। यहाँ पर न कोई छूट होगी और न ही कोई पूर्वव्यापी कर।

**07.** निवेश को विवेकपूर्ण तरीके से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि और संबद्ध गतिविधियां, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, संसाधनों के बंटवारे में बाजार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर कांग्रेस विश्वास करती है, जहाँ-जहाँ भी आवश्यक हुआ संसाधनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए नीतिगत् हस्तक्षेप किये जायेंगे।

**08.** कांग्रेस निवेश के उन सभी कानूनों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करने का वायदा करती है, जो निवेश को नियंत्रित करते हैं। ऐसे सभी नियम, कानून जो वर्तमान समय में बाजार अर्थव्यवस्था के लिए असंगत, पुराने या अवरोध बन रहे है उन्हें निरस्त किया जायेगा।

**09.** विदेश व्यापार नीति की समीक्षा अगले तीन महीनों में कर दी जायेगी। आयात और निर्यात को डब्लू.टी.ओ. के नियमों के सापेक्ष स्वतंत्र किया जायेगा। कोई भी नियम कानून या सिद्धान्त जिसमें इस मार्गदर्शक सिद्धान्त को बदलने की क्षमता है, उसका प्रर्याप्त प्रमाणिक तर्कों के साथ समर्थन किया जायेगा और इसका संचालन एक समय विशेष तक सीमित कर दिया जायेगा।

**10.** अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को ऋण की आवश्यकता होती है, स्वस्थ बैंकिग प्रणाली के साथ-साथ गैर बैंकिग वित्त कंपनियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान महत्वपूर्ण है। आर.बी.आई. गैर वित्तीय वित्त कंम्पनियों (एन.बी.एफ.सी.) और बैंकों की नियामक संस्था है, अतः सरकार सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त धन नकदी और ऋण देने की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी न रह जाये।
भाजपा सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.इ.) कृषि, व्यापार और निर्यात के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा की व्यवस्था करने से इंकार कर दिया। उन्होंने एन.पी.ए. का डर दिखाकर एक आभासी रोक लगा दी। सभी कंपनियों को एक ही तराजू में तोलने की प्रवृति और दृष्टिकोण ने कंपनियों को दिवालियेपन की तरफ धकेल दिया, नोटबन्दी ने अनौपचारिक ऋण के सभी स्रोत बन्द कर दिये। परिणाम स्वरूप आज कृषि क्षेत्र विकट संकट में है, एम.एस.एम.ई. या तो बन्द हो गये हैं या चलते रहने के लिए संघर्षरत् हैं, व्यापार पंगु बन चुका है, और पिछले 4 साल में निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कांग्रेस अर्थव्यवस्था में पनपी इन सभी विकृतियों को खत्म करेगी, आर.बी.आई. के साथ मिलकर ऋण वितरण प्रणाली को पुनः शुरू करेगी और पर्याप्त धन और नकदी को प्रचलन में लाना सुनिश्चित करेगी।

**11.** भारत को अगले पांच वर्ष में विनिर्माण का हिस्सा 16 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक करना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि कोई भी चीज जो दूसरे देशों में बन सकती है उसे भारत में भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस वायदा करती है कि उन सभी नीतियों, नियमों और कर प्रणाली में सुधार के साथ-साथ उद्यमशीलता को पुरस्कृत किया जायेगा ताकि भारत को विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाया जा सके।

**12.** कांग्रेस हर व्यवसाय चाहे वो विनिर्माण, आपूर्ति, और निर्यात हो को मान्यता देगी जो नियम-कानून के अनुसार चले, संपत्ति के अधिकारों को सम्मान दे और अनुबंधो की पवित्रता को बरकरार रखते हुए चले। कांग्रेस भारत में व्यापार करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने और लागू करने का वायदा करती है जिसमें व्यापार करने के सर्वोत्तम व्यवसायिक नियमों-कायदों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जायेगा

**13.** हम दुनिया की सभी फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाने का प्रयास करेंगे।

**14.** कांग्रेस नये व्यापार और व्यापारियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करेगी, स्टार्टअप पर लगाया गया एंजेल टैक्स पूरी तरह समाप्त किया जायेगा। हम भारत को एक नवोत्पाद/नवोचार केन्द्र (Innovation Hub) के रूप में विकसित करेंगे।

**15.** नोटबंदी व दोषपूर्ण जी.एस.टी. के कारण छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए है। कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रभावित उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए नई योजना बनायेगी।

**16.** कांग्रेस सामरिक महत्व के सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को छोडकर, सभी उपक्रमों से विनिवेश करने का वायदा करती है।

**17.** कांग्रेस अच्छे व सक्षम शासन का वायदा करती है, परंम्परागत नौकरशाही के पास हमारे आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता बहुत कम है, हम वायदा करते हैं कि अच्छे आर्थिक नीति निर्माताओं और प्रबंधको को प्रशासन में शामिल करेगें तथा उन्हें पूरी स्वायत्तता दी जायेगी कि वे सरकार के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति और कार्यक्रम बनाकर उन्हे क्रियान्वित करें।

**18.** अगर हम सर्तक नहीं होते हैं, तो सरकारों की प्रवृति होती है कि बाजार के साथ-साथ व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण करने के लिए हस्तक्षेप करे। खुली और उदार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है। इसलिए यहाँ यह जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस सरकार की भूमिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें-

- **i.** हम बाजार में बेवजह हस्तक्षेप से सरकार को अलग रखेंगे।
- **ii.** बाजार की उल्लेखनीय असफलताओं की स्थिति को संबोधित करने के लिए सरकार उचित नियमों और विनियमों (पूंजी बाजार बैंकिग) के द्वारा पहल और हस्तक्षेप करे।
- **iii.** हमें सरकार के भीतर उन क्षमताओं (जैसे कराधान, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता) का विकास करना चाहिए, जो उसके मुख्य कार्य है।

**19.** कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित है कि 1991 के उदारीकरण के पश्चात देश में बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 2004 से 2014 के बीच 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है, इस कार्य को नये सिरे से जारी रखा जायेगा। कांग्रेस वायदा करती है कि 2019-2024 के बीच 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जायेगा तथा गरीबी को मिटाने के लिए ठोस आधार तैयार करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 2030 तक कोई भी देशवासी पीछे न छूटे।

# 09 न्यूनतम आय योजना (NYAY)

गरीबी उन्मूलन कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हम गर्व के साथ याद दिलाना चाहते हैं कि 2004-2014 के बीच यूपीए सरकार ने, 14 करोड़ लोगो को गरीबी से उभारा था।

यह सच है कि तीव्र और व्यापक आधार वाला विकास, गरीबी को कम करेगा, और मध्यम या दीर्घावधि में गरीबी को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ निर्णायक और लक्ष्य केन्द्रित हस्तक्षेप, एक दशक के भीतर गरीबी को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, इसलिए कांग्रेस 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

**01.** कांग्रेस का मानना है कि भारत की जी.डी.पी. का आकार और कुल व्यय (राज्य और केन्द्र सरकार को मिलाकर) हमें इजाजत देता है कि हम देश के सबसे गरीब लोगों को, राजकोषीय लक्ष्यों से विचलित हुए बिना, नकद हस्तांतरण की महत्वाकांक्षी योजना चला सकते हैं। न्यूनतम् आय योजना की विशेषताएं इस प्रकार है -

- **i.** देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत अर्थात लगभग 5 करोड़ परिवार, जो कि सबसे गरीब हैं, इस योजना से लाभान्वित होंगे।
- **ii.** प्रत्येक परिवार को हर साल बहत्तर हजार रूपये (72,000) नकद हस्तांतरित किये जायेंगे।
- **iii.** जहाँ तक संभव होगा धन परिवार की महिला के खाते में जायेगा, यदि उसके पास बैंक खाता है तो ठीक वर्ना नया बैंक खाता खोलने को कहा जायेगा।
- **iv.** शुरूआत के तीन महीने (0–3) कार्यक्रम को पूरी तरह से डिजाइन किया, जायेगा तथा प्राथमिक चरण के बाद अगले छः महीने (6–9) कार्यक्रम की योजना, क्रिन्यावयन पद्धति तथा सफलता को जांचा-परखा जायेगा, उसके बाद कार्यक्रम को पूरी तरह शुरू किया जायेगा।
- **v.** कार्यक्रम को चरणवद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
- **vi.** कार्यक्रम की अनुमानित लागत पहले वर्ष में जी.डी.पी. का 1 प्रतिशत से कम तथा उसके पश्चात जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत से भी कम रहने की उम्मीद है, बाद के वर्षों में भी यह इतनी ही रहेगी।
- **vii.** जी.डी.पी. के बढ़ने के परिणाम स्वरूप अनेक परिवार धीर-धीरे गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल जायेंगे, और इसके फलस्वरूप लागत जी.डी.पी. के अनुपात में घट जायेगी।

**02.** कांगेस कार्यक्रम को डिजाइन, परीक्षण, शुरू करने और क्रियान्वयन की देखभाल के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, सामाजिक वैज्ञानिकों और सांख्यिकिविदों का एक स्वतंत्र पैनल तैयार करेगी, कार्यक्रम को अगले चरण मे ले जाने के लिए भी यही “स्वतंत्र पैनल” की तरफ से “आगे बढ़ो” का संदेश या इजाजत ली जायेगी। कांग्रेस न्याय (एन.वाई.ए.वाई.) को केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में लागू करने का इरादा रखती है। कार्यक्रम के लिए धन नये राजस्व के स्रोतों और खर्चों में कटौती करके आयेगा। वर्तमान सब्सिडी कार्यक्रम जो कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, को यथावत् रखा जायेगा।

**03.** कांग्रेस का लक्ष्य होगा कि कोई भी “भारतीय परिवार पीछे न छूट जाये”।

**जी.एस.टी. 2.0 युग सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान, सीमित और आदर्श मापदण्ड के अनुसार होगा। जी.एस.टी. 2.0 नये व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ायेगा।**

## 10 कर निर्धारण और कर प्रणाली सुधार

आयकर और माल एवं सेवा कर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होंगे, कांग्रेस मानती है और उसे पुनः दोहराती है कि कर सरल, पारदर्शी और प्रगतिशील होने चाहिए, इसके अलावा कर प्रशासन विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर करदाताओं को भी विश्वास हो, कांग्रेस उन सभी करों को समाप्त कर देगी जिन्होंने आम आदमी के साथ-साथ व्यवसायियों के मन में डर भरकर एक टैक्स-आतंक और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है।

**प्रत्यक्ष कर संहिता:**

**01.** कांग्रेस, सरकार पहले वर्ष में ही प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करने का वचन देती है। यह सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष, आसान, अनुपालनीय, निष्पक्ष कर प्रशासन के नये युग का सूत्रपात करेगी।

**02.** कांग्रेस वादा करती है कि प्रत्यक्ष कर संहिता आय और उसके अनुपातिक दरों के साथ-साथ मौजूदा आय में विषमता और समान कर दरों के सिद्धांत पर आधारित होगी।

### माल और सेवाकर 2.0

**01.** कांग्रेस वर्तमान जी.एस.टी. कानून को बदलकर जी.एस.टी. 2.0 का नया युग लायेगी जो वास्तव मूल्यवर्धित (Value Added), अप्रपाती (Non Cascading) और अप्रत्यक्ष कर के उद्देश्यों का वाहक होगा।

**02.** जी.एस.टी. 2.0 युग सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान, सीमित और आदर्श मापदण्ड के अनुसार होगा। यह दर केन्द्र और राज्य सरकारों के वर्तमान अप्रत्यक्ष कर के प्रति पूरी तरह से तटस्थ होगी तथा जी.एस.टी. 2.0 के अर्न्तगत करदाता की टैक्स क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देगी।

**03.** जी.एस.टी. 2.0 सिगरेट, शराब जैसी वस्तुओं (Demerit Goods) पर एक विशेष टैक्स लगायेगा।

**04.** जी.एस.टी. 2.0 को करदाता द्वारा आसानी से समझाकर इसका अनुपालन आसान होने के साथ-साथ, इसे लागू करना भी आसान होगा। हमें विश्वास है कि जी.एस.टी. 2.0 नये व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ायेगा। जी.एस.टी. 2.0 के तहत करदाताओं की सलाह को शामिल करते हुए वेबसाइट को विकसित किया जायेगा ताकि वह उपयोगकर्ता के अनुकूल हो।

**05.** कांग्रेस वायदा करती है कि रियल स्टेट (सभी क्षेत्र), पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू शराब को जी.एस.टी. काउन्सिल से अनुमोदन के पश्चात अधिकतम् दो वर्ष के अन्दर जी.एस.टी. की परिधि में लाया जायेगा।

**06.** आम आदमी द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले सामान (जैसे खाद्यान्न, जीवनरक्षक दवाएं, टीके इत्यादि) तथा आवश्यक सेवाओं को जी.एस.टी. से बाहर रखा जायेगा या इन पर शून्य कर लगेगा।

**07.** सभी उत्पाद और सेवायें जिनका निर्यात किया जायेगा को शून्य कर की परिधि में रखा जायेगा, अर्थात वो जी.एस.टी. 2.0 से बाहर होगीं।

**08.** कांग्रेस वायदा करती है कि छोटे व्यापारियों को प्राप्त छूट (Threshold exemption) अन्तर्राज्यीय माल एवं सेवा आपूर्ति से अप्रभावित रहेंगी।

**09.** वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले छोटे, अपंजीकृत व्यवसायियों को सहायता और समर्थन देने के लिए रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत कोई जी.एस.टी. नहीं होगा।

**10.** कांग्रेस ई-वे बिल को समाप्त करेगी, कर चोरी को पकड़ने के लिए खुफिया तन्त्र और जोखिम प्रबन्धन तन्त्र को मजबूत करेगी।

**11.** कांग्रेस जी.एस.टी. से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों और नगर निकायों को आवंटित करेगी।

**12.** कांग्रेस वादा करती है कि एक ऐसा तन्त्र विकसित करेगी जिससे व्यापारी को अपने व्यवसाय के लिए सिर्फ तिमाही और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने होंगे। प्रत्येक कर दाता टर्नओवर के आधार पर एकल प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन के अन्तगर्त आयेंगे।

**13.** जी.एस.टी. परिषद् एक नीति निर्धारक इकाई होगी, जिसका एक स्थाई सचिवालय होगा और जिसमें अर्थशास्त्री, कर नीति विशेषज्ञ, पेशेवर कर विशेषज्ञ शामिल होगें। इसकी होने वाली बैठकों की रिपोर्ट आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी।

**14.** कांग्रेस वायदा करती है कि डी.टी.सी. और जी.एस.टी.-2.0 अनिवार्य रूप से दीवानी कानून होंगे तथा टैक्स की चोरी करने वालो के खिलाफ दीवानी कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जो कि कर के अनुपात में होगी। डी.टी.सी. और जी.एस.टी.- 2.0 के तहत अभियोजन केवल आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार या धोखाधडी के मामले में ही होंगे।

---

# 11 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

कांग्रेस प्रतिस्पर्धी बैंकिग क्षेत्र में अपने विश्वास की पुष्टि करती है।

भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्ष में बैंकिग क्षेत्र को काफी कमजोर किया है, गैर निष्पादित सम्पत्ति (Non Performing Assets) में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। क्रोनी कैपिटलिज्म पनप रहा है तथा योग्य व्यक्तियों को ऋण से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस बैंकिग और वित्तीय क्षेत्रों में पनपी इन कुरीतियों को तुरन्त समाप्त करेगी।

**01.** कांग्रेस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (पी.एस.बी.) की अवधारणा, भूमिका एवं कार्यों की व्यापक समीक्षा करके पी.एस.बी. में वांछित परिवर्तन करके इन्हें एक अच्छी और लाभप्रद बैलेंस शीट के साथ मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने का वादा करती है।

**02.** कांग्रेस दो या उससे अधिक पी.एस.बी. का समामेलन करेगी, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज करवाते हुए सिर्फ 6-8 पी.एस.बी. हों। 6-8 पी.एस.बी. में से प्रत्येक को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया जायेगा।

**03.** हम पी.एस.बी. को संचालित करने वाली प्रणाली की समीक्षा करेंगे तथा इसे प्रतिस्पर्धी, स्वस्थ, कुशल और लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक बदलाव करते हुए, स्वतंत्र वाणिज्यिक बैंकिग संगठन बनायेंगे। हम निरर्थक बैंकिग बोर्ड ब्यूरो को समाप्त कर देंगे।

**04.** कांग्रेस वायदा करती है कि पी.एस.बी. सार्वजनिक/जनहितकारी नीतियों को प्राथमिकता देने के काम को जारी रखेंगे, तथा वंचितों और अन्य आवश्यक क्षेत्रों, जिन्हें अन्य स्थानों से ऋण से वंचित किया है, को ऋण सुविधा देंगे।

**05.** हम कुछ एन.बी.एफ.सी. की असफलता से चिन्तित है, जिसने बॉण्ड मॉर्केट, म्यूचल फण्ड और ऋण की उपलब्धता को प्रभावित किया है। कांग्रेस ऐसी विफलताओं को रोकने और निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए नियामक व्यवस्था की समीक्षा करेगी और उसे मजबूत करेगी।

**06.** हम एक मजबूत कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार, सार्वजनिक बॉण्ड बाजार, तथा बुनियादी ढ़ांचा निवेश निधि को विकसित करने के लिए आवश्यक नीतिगत् और प्रशासनिक उपाय करेंगे।

**07.** कांग्रेस विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नये विकास बैंको को प्रोत्साहित करने का वायदा करती है।

**08.** भारतीय प्रोद्योगिकी कंपनियों को वैश्विक मानकों के आधार पर बढ़ाने में पूंजी की कमी अवरोध पैदा करती है। कांग्रेस एक भारतीय वैश्विक कंपनी कोष की स्थापना करेगी तथा भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को वैश्विक कंपनियां बनाने के लिए नीतिगत माहौल बनाएगी।

09. कांग्रेस, एम.एस.एम.ई. को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नये संस्थानों (छोटे बैंकों) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, ताकि एम.एस.एम.ई. को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। कांग्रेस राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी कि वे राज्य वित्त निगमों को पुर्नजीवित करें, जिससे कि एम.एस.एम.ई. को लम्बे समय के लिए ऋण और जोखिम उठाने के लिए पूंजी उपलब्ध करवाई जा सके।
10. हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक सहायकों को तकनीकी रूप से मजबूत करके, आर्थिक समावेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि आम लोगों को अपने घर के आसपास ही बैंकिग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।
11. कांग्रेस आर.बी.आई. के साथ मिलकर के.वाई.सी. प्रक्रिया को सरल बनाने, बार-बार सत्यापन से बचने के साथ ही, अनेक प्रकार के दस्तावेजों के इस्तेमाल की दिशा में कार्य करेगी।
12. कांग्रेस एक व्यापक आधार वाले प्रतिभूति बाजार को विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का वायदा करती है, जो ऐसे उत्पादों की पेशकश करेगा, जो उन्हें सुरक्षित और पर्याप्त रिटर्न के साथ ही दीर्घकालिक जरूरतों के लिए निवेश करने की व्यवस्था करते हुए, बाजार में आकर्षित करेगा।
13. हमारे अपने बाजार में अधिक से अधिक घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बनायेंगे।
14. हम बैंकिग, प्रतिभूतियों और वित्तीय बाजारों (धन संग्रह योजनाओं सहित) में धोखाधड़ी रोकने के लिए कठोर उपाय करने का वायदा करते हैं ताकि अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा मिल सके।

**एम.एस.एम.ई. को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नये संस्थानों (छोटे बैंकों) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, ताकि एम.एस.एम.ई. को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।**

## 12 विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार

विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार में किया गया निवेश, देश के भविष्य के लिए निवेश होता है। वैज्ञानिक चेतना और खोजी प्रकृति भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है।

01. कांग्रेस वायदा करती है कि उद्योगों के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पर, जीडीपी का 2 प्रतिशत तक खर्च करेंगे।
02. कांग्रेस विज्ञान-प्रोद्योगिकी और नवाचार को बढावा देने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का वायदा करती है।
03. कांग्रेस अनुसंधान और विकास के सभी संस्थानों में और अधिक वैज्ञानिकों की भर्ती करेगी, इसके अलावा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के रिक्त पदों को अगले 12 महीने में भरने का वायदा करती है।
04. हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणनन् परिषद् (NAAC) से प्रमाणित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभागों को मजबूत करने के लिए, उन्हें उपकरण, प्रयोगशालाएं और अधिक शिक्षक उपलब्ध करवायेंगे, तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने शोध प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
05. कांग्रेस पेटेंट कानूनों को मजबूत करेगी तथा भारतीय खोजकर्ताओं, शोधकर्ताओं और आविष्कारकों को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लेने में सहायता प्रदान करेगी।
06. हम एक पेटेंट समूह (Pool/ बैंक) बनाकर पेटेंट प्राप्त करेंगे, और सस्ती कीमत पर व्यवसाईयों को पेटेंट प्रोद्योगिकी उपलब्ध करवायेंगे।
07. हम राष्ट्रीय नवाचार परिषद् को पुनर्जीवित करेंगे और नवाचार के लिए नीतियाँ बनाने, बहस और विश्लेषण के लिए माहौल बनाने, रणनीति तैयार कर उसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने के लिए, तरीके विकसित करेंगे।
08. हम एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करेंगे जो बड़े आंकड़े (Big Data), मशीनों से सीखना (मशीन लर्निंग), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3 डी प्रिंटिंग और उत्पादन तथा नॉलेज नेटवर्क जैसे भविष्यदर्शी तकनीक पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
09. कांग्रेस देश में भारत समावेशी नवाचार निधि की स्थापना करेगी जिसका कार्य होगा नवीन उद्यमों को सहायता करना, ताकि वे अपनी क्षमता का विकास करते हुए, विकास के सबसे निचले पायदान में रह रहे लोगों तक अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकें।
10. कांग्रेस एक Scenario Planning and Strategic Future Office की स्थापना करेगी, जिसका कार्य होगा मध्यम एवं दीर्घकालिक रणनीतिक अवसरों को देखते हुए सुदृढ़ रणनीति बनाना।
11. कांग्रेस पर्याप्त धन और मानव संसाधन के साथ राष्ट्रीय डाटा विज्ञान संस्थान की स्थापना करेगी जिसका उद्देश्य डाटा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर उन्हें विश्वस्तरीय वैज्ञानिक बनाना होगा।

# 13 मत्स्य पालन उद्योग और मछुआरे

140 लाख से अधिक भारतीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए मत्स्य उद्योग पर निर्भर है। कांग्रेस मत्स्य उद्योग को तेजी से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

**01.** कांग्रेस मत्स्य उद्योग और मछुआरों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन करेगी।

**02.** हम मछुआरों और मत्स्य उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे। यह आयोग मत्स्य उद्योग में ऋण की उपलब्धता के साथ-साथ इस उद्योग मे फैली ऋणग्रस्तता के मुद्दे का हल ढूंढेगा।

**03.** कांग्रेस देश के अन्दर मछली पकड़ने तथा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देगी और कृषि तथा कृषकों को दिये जा रहे लाभों को प्रदान करेगी।

**04.** कांग्रेस श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ एक स्थाई तंत्र की स्थापना करेगी जिसका उद्देश्य होगा, समुद्र में होने वाले संघर्ष, हिंसा, जबरन कार्यवाही और जानमाल के नुकसान को खत्म करना और मछुआरों की आजीविका के अवसरों में सुधार करना।

# शान— हमारी दूरदर्शिता और दृढ़शक्ति पर गर्व

एनडीए राज में रक्षा खर्च में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को कांग्रेस पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा करने के लिये इसमें बढ़ोत्तरी करेगी। हम पारदर्शी तरीके से सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लायेंगे। सशस्त्र बलों के लिये वन रैंक, वन पेंशन की विसंगतियों को दूर किया जायेगा, हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे।

# 14 राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा एक मजबूत रक्षा नीति, एक गंभीर विदेश नीति और परिपक्व नेतृत्व पर निर्भर रहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा खुद की पीठ थपथपाने और अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करने से नहीं आती है।

**01.** कांग्रेस देश की अंखडता की रक्षा करने और देशवासियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक एवं कठोर कदम उठाने का वायदा करती है।

**02.** 21वीं सदी में देश को सुरक्षित करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ, अलावा डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, कांग्रेस इन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम बनाएगी।

**03.** कांग्रेस रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के कार्यालय की स्थापना करेगी।

**04.** कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के कार्यालय को वैधानिक आधार प्रदान करेगी, इनकी शक्तियों तथा कार्यों को परिभाषित करेंगे, इनके अधीन कार्यरत् एजेसियां, संसद के प्रति जवाबदेह होंगी।

**05.** भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को जनवरी 2015 से अक्टूबर 2016 के बीच अनिश्चिय की स्थिति में रखा और बाद में समाप्त ही कर दिया। कांग्रेस एन.एस.ए.वी. की पुनर्स्थापना करने के साथ ही उसे वैधानिक आधार प्रदान करेगी तथा विभिन्न क्षेत्रो के कार्यरत् विशेषज्ञों और पेशेवरों को सम्मिलित करेगी। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को सलाह देने के लिए यह नियमित रूप से एक पेशेवर सलाहकार समूह के रूप में कार्य करें।

**06.** कांग्रेस रक्षा और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने का वायदा करती है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की उन कंपनियों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाएंगे, जिनके पास पूर्व योग्यता है, जो सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय घोषित किये जा चुके हैं।

**07.** कांग्रेस वायदा करती है कि रक्षा और सुरक्षा उपकरणों के घरेलू निर्माण की क्षमता का तेजी से विस्तार करेगी। हम सार्वजनिक क्षेत्रों में तथा पूर्व-योग्य निजी क्षेत्र की कंपनियों में सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन करेंगे।

# 15 आंतरिक सुरक्षा

कांग्रेस वायदा करती है कि वह सुरक्षा स्थिति पर सर्तक नजर रखेगी और भारत के हर नागरिक और आगंतुक को सुरक्षा की भावना प्रदान करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए, हर संभव प्रयास और उपाय करेगी।

**01.** आतंरिक सुरक्षा की कुंजी खुफिया तंत्र, सटीक विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया है। कांग्रेस ने इसे सदढ़ करने के लिए बहु संस्था केन्द्र और एन.एस.जी. क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की थी, कांग्रेस ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र और नेटग्रिड की स्थापना भी प्रस्तावित की थी। इस सबके लिए शुरूआती तैयारी हो चुकी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस पर न सिर्फ पानी फेर दिया बल्कि 5 साल भी खराब कर दिये। NCTC को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और NATGRID को अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। कांग्रेस का वायदा है कि NCTC की स्थापना सिर्फ 3 महीने के भीतर कर दी जायेगी तथा NATGRID को साल के अंत अर्थात दिसम्बर 2019 तक शुरू कर दिया जायेगा।

**02.** आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा 1. आतंकवाद, 2. आतंकवादियों की घुसपैठ, 3. माओवादी/नक्सलवाद, 4. जातीय साम्प्रदायिक संघर्ष से है। कांग्रेस इन सभी खतरों से अलग-अलग तरीके से निपटेगी।

- **i.** हम आतंकवाद और आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कठोरतम् उपाय करेंगे।
- **ii.** माओवाद/नक्सलवाद : माओवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए कांग्रेस दोहरी रणनीति अपनाएगी। हिसंक गतिविधियों को रोकने के लिए जहाँ एक तरफ कठोर कार्यवाही की जायेगी, वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य किये जायेंगे, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र की जनता के साथ-साथ माओवादी कार्यकर्ताओं का दिल जीत कर मुख्यधारा में लाया जा सके।
- **iii.** जातीय साम्प्रदायिक हिंसा के मामले से निपटने के लिए कांग्रेस सरकार पुलिस की मदद से हिंसा भड़काने वालों या दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी तथा उन्हें कानूनी तरीके से दण्डित करेगी। स्वयंभू सतर्कता समूहों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले समूहों (Moral Policing) के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

**03.** कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर पुलिस बलों की ताकत बढ़ाने रिक्त पदों को भरने प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल को निष्पक्ष रूप से तैनात करेगी।

**04.** कांग्रेस महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्यवाही करने का वायदा करती है। बिना किसी डर या पक्षपात के कानून का पालन किया जायेगा और अपराधियों को खुलेआम सड़को पर नहीं घूमने दिया जायेगा।

**05.** साम्प्रदायिक दंगा, जातीय हिंसा, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपराध तथा किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था टूटने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, कांग्रेस इसके लिए जिला प्रशासन को जवाबदेह बनायेगी।

# 16 विदेश नीति

भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित है। जो हमारे दूरदर्शी नेताओं के सामूहिक ज्ञान और दूरदर्शी दृष्टिकोण से विकसित हुई है। दुर्भाग्य से भाजपा शासन के दौरान एक व्यक्ति की सनक और व्यक्तिगत इच्छा के कारण उलट-पलट हो गई है। हमारे राष्ट्रीय हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम देश के लिए इस प्रकार की हानिकारक नीतियों और घटनाओं को बदलकर नये सिरे से विदेश नीति विशेषज्ञों पर विश्वास दोहरायेंगे।

**01.** कांग्रेस मित्रता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तिव, गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के विचार के साथ विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबन्ध बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी।

**02.** कांग्रेस विदेश नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों, विषय विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों तथा सुरक्षा हेतु कैबिनेट कमेटी को मिलाकर विदेश नीति पर एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना का वायदा करती है।

**03.** हम दुनिया के देशों विशेषकर पड़ोसी देशों और जी-20 देशों के साथ विभिन्न मंचों और संस्थानों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

**04.** विदेश व्यापार हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व होगा, हम विभिन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे।

**05.** कांग्रेस सरकार ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिये खोले थे। कांग्रेस दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग, दोतरफा निवेश और कारोबारियों के बीच घनिष्ठ संबंधों का वायदा करती है।कांग्रेस दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद का विरोध करती है और आतंकवादी गुटों, आतंकवादी घटनाओं और सीमापार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का वायदा करती है। हम संयुक्त राष्ट्र को आतंकवादियों की सूची की लगातार समीक्षा करने और प्रतिबन्धों के दायरे का विस्तार करने के लिए राजी करेंगे।

**06.** हम दुनिया के आम देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए।

**07.** हम दुनिया के अन्य देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली आतंकी गतिविधियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए।

**08.** कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के अनुरूप नागरिक शरण कानून पारित करने का वायदा करती है।

**09.** हम परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता के लिए भारत के प्रयासों को दोगुना करेंगे।

**10.** कांग्रेस सार्क और आसियान देशों की भौगोलिक निकटता का लाभ लेते हुए व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ायेगी।

**11.** कांग्रेस मछुआरों की समस्याओं का हल ढूंढ़ने, संघर्ष-जबरन कार्यवाही और जान-माल की हानि रोकने के लिए विशेष तौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मिलकर प्रभावी तंत्र स्थापित करने का वायदा करती है, साथ ही मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

**12.** हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को मजबूत करेंगे तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध सुधारते हुए विश्व में अपनी संस्कृति और सभ्यता को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए परिषद् को प्रोत्साहित करेंगे।

**13.** कांग्रेस विदेश सेवा का आकार बढ़ाने, विषय विशेषज्ञों और विद्वानों को विदेश सेवा में शामिल करके विदेशों में नये दूतावास खोलने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर प्रभावी रूप से अधिक हिस्सेदारी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे तथा इनके जरिये दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका हासिल करने का वायदा करते हैं।

**कांग्रेस दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद का कड़ा विरोध करती है और आतंकवादी गुटों, आतंकवादी घटनाओं और सीमापार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का वायदा करती है।**

# 17 सीमा सुरक्षा

भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित सीमाएं भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करती है।

कांग्रेस विभिन्न प्रकार के उपाय करके सीमा सुरक्षा को बढ़ाने का वायदा करती है।

**01.** हम सीमा सुरक्षा बलों बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. और असम राइफल की ताकत बढाएंगे और उन्हें सीमापार से आतंकी घुसपैठ, तस्करी, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा के नजदीक तैनात करेंगे।

**02.** हम सुरक्षाबलों के काम करने और रहने के लिए बेहतर स्थिति उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक और सुसज्जित एकीकृत बार्डर आउटपोस्ट का निर्माण करेंगे। दो सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम की जायेगी तथा अधिक ऊंचाई वाली सीमा चौकियों में पोस्टिंग की अवधि एक बार में 3 महीने की जायेगी।

**03.** हम सीमा सड़क, विशेषकर भारत-चीन सीमा पर निर्माण में तेजी लायेंगे। हम सीमा सड़क संगठन की क्षमता बढ़ायेंगे और भारत-चीन तथा भारत-म्यामांर सीमाओं में सड़क बनाने के लिए अलग-अलग डिवीजन बनायेंगे।

# 18 भूतपूर्व सैनिक

**01.** यूपीए सरकारों के तहत कांग्रेस ने एक रैंक एक पेंशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया और वर्ष 2006, वर्ष 2010 और वर्ष 2013 में तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए। फरवरी, 2014 में यूपीए सरकार ने सभी रैंकों के पेंशनधारियों के बीच के अन्तर को खत्म करने का फैसला किया। पूर्व सैनिकों का मानना है कि भाजपा सरकार ने उनकी मांग के हिसाब से एक रैंक एक पेंशन को लागू नहीं किया, कांग्रेस एक रैंक एक पेंशन में लागू विसंगतियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करने का वायदा करती है।

**02.** कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नई नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होगा।

**03.** कांग्रेस एक ऐसी नीति बनायेगी जिसमें एक विशेष अवधि तक नौकरी करने के पश्चात या उससे पहले सेवानिवृत होने वाले लोग अपनी योग्यतानुसार प्रशासनिक सेवाओं (Civil Services) में सीधा प्रवेश (Lateral Entry) में जा सकते हैं।

**04.** हम सशस्त्र बलों के उन कर्मियों जो 40 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत हो गये हैं। वे अपनी योग्यता और शारीरिक योग्यता के अनुसार उपयुक्त स्तर पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रवेश कर सकते हैं।

**05.** कांग्रेस पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की जरूरत के मद्देनजर सशस्त्र बलों की चिकित्सा वाहिनी और अस्पतालों की क्षमता का पर्याप्त विकास करने का वादा करती है।

**06.** कांग्रेस घायल सशस्त्र बल कर्मियों की विकलांगता का निर्धारण करने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी तथा विकलांग व्यक्ति के निर्णय के आधार पर अपील करेगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर सभी अपीलों को वापस ले लिया जायेगा।

**कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नयी नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होगा**

# 19 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

केन्द्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की रक्षा की पहली पंक्ति है। देश में कानून और व्यवस्था टूटने के दौरान भी वे सबसे पहली पंसद होते है। हजारों जवानों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कांग्रेस केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने और जवानों के कल्याण कार्यक्रम में सुधार का वायदा करती है।

**01.** हम सीमा सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनज़र सी.ए.पी.एफ. की क्षमताओं का विकास करेंगे।

**02.** हर वक्त एक निश्चित संख्या में बटालियन आराम कर रही होगी या स्वास्थ्य लाभ ले रही होगी या फिर प्रशिक्षण में व्यस्त होगी, उस दौरान उस बटालियन को किसी कार्य में तैनात नही किया जायेगा।

**03.** कांग्रेस सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक सुनिश्चित करने का वायदा करती है। आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. और असम राइफल जैसे अन्य सीमा रक्षक बलों में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाई जायेगी।

**04.** हम सी.ए.पी.एफ. कर्मियो और उनके परिवारों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाओं में वृद्धि करके उन्हें सशस्त्र बलों की बराबरी में लायेंगे। सैनिक स्कूल के मॉडल के अनुरूप सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की जायेगी।

**05.** कांग्रेस सैन्य कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले जवानों का दर्जा बढ़ाने तथा उनके परिवारजनों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करेगी।

**06.** हम सी.ए.पी.एफ. के कर्मियों की सेवा नियमावली तैयार करने के लिए एक समिति गठित करेंगे।

# 20 कला-संस्कृति और साहित्य

कला-संस्कृति और विरासत लोगों को पहचान दिलाती है। भारत जैसा बहु-सांस्कृतिक देश, जिसके पास गर्व करने लायक कला-संस्कृति-साहित्य और बृहद विरासत है, जिसे संरक्षित और सुरक्षित किये जाने की जरूरत है।

**01.** कांग्रेस भारत की कला और समृद्ध विविधतापूर्ण संस्कृति की रक्षा करने और इसे स्वतंत्र और रचनात्मक माहौल में फलने-फूलने का मौका मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरी तरह से सेंसरशिप का विरोध करने के साथ ही किसी भी समूह की कला और संस्कृति को बदनाम करने या नष्ट करने का विरोध करेंगे।

**02.** मानवशास्त्रीय महत्व के अद्वितीय समूहों की कला, संस्कृति और विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयासों को पर्याप्त सहायता और धन मुहैया करवाया जायेगा।

**03.** हम पारंपरिक कला और शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत् कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता (फैलोशिप) प्रदान करेंगे।

**04.** कांग्रेस कलात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देगी, कलाकार और शिल्पकार सेंसरशिप या विरोध के डर के बिना अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्वयंभू सर्तकता समुहों द्वारा किसी प्रकार का सेंसर करने तथा कलाकारों को धमकाने को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेंगी।

**05.** कांग्रेस सांस्कृतिक संस्थाओं को स्वायत्ता, जिसमें वित्तीय स्वायत्ता भी निहित है, प्रदान करने का वचन देती है।

**06.** हम स्कूल कालेजों में कला शिक्षा को बढ़ावा देंगे तथा उन संस्थानों को विशेष रूप से सहायता करेंगे जो कला सिखाते हैं। हम अधिक से अधिक छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति देकर छात्रों को मानव शास्त्र और पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करने को प्रोत्साहित करेंगे।

07. कांग्रेस संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुस्तकालयों और अभिलेखागार की स्थापना के लिए निजी और सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि ये संस्थान बच्चों, छात्रों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हों।
08. भारत से चोरी चली गई कला को वापस लाने के प्रयास किये जायेंगे।
09. कांग्रेस भारत की कला और संस्कृति के डिजिटल अभिलेखागार बनाने के लिए पर्याप्त धन और मानव संसाधन उपलब्ध करवायेंगी।
10. कॉपीराइट कानून को और मजबूत करने के साथ ही लागू किया जायेगा, कॉपीराइट अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कॉपीराइट बोर्ड का गठन, पुर्नगठन और सशक्तिकरण किया जायेगा।
11. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को और अधिक धन और मानव संसाधन उपलब्ध करवाये जायेगे, और अधिक ऐतिहासिक स्मारकों को पुरातत्व विभाग की देखभाल और संरक्षण के दायरे में लाया जायेगा।

## 21 पर्यटन

अनुमान है कि वर्ष 2018 में भारत में लगभग 1 करोड़ पर्यटक आये, दुसरे देशों की तुलना में यह संख्या काफी निराशाजनक है, कांग्रेस पर्यटकों की संख्या में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। पर्यटन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये विभिन्न स्तर की शिक्षा वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवा सकता है।

01. कांग्रेस पर्यटन सम्बधी व्यवसायों और आय के लिए विशेष कर व्यवस्था करने का वादा करती है।
02. हम पर्यटन सम्बधी व्यवसायों में कम लागत वाले दीर्घकालिक फण्ड उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त पूंजीकृत पर्यटन विकास बैंक की स्थापना करेंगे।
03. कांग्रेस प्रदेश सरकार के साथ मिलकर पर्यटक स्थलों के आसपास बुनियादी ढ़ांचे को बनाने और सुधारने का प्रयास करेगी।
04. कांग्रेस राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्यटको की सहायता और मार्गदर्शन के लिए युवा स्वयंसेवक समूह गठित करने की दिशा में कार्य करेगी।
05. विदेशो में स्थापित दूतावास/मिशनों को अधिक से अधिक पर्यटक भारत में भेजने की जिम्मेवारी दी जायेगी।
06. “वीजा ऑन अराइवल” योजना का विस्तार करते हुए इसमें और अधिक देशों और श्रेणियों को शामिल किया जायेगा। 3 वर्ष की अवधि तक पर्यटक वीजा के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।

## 22 अप्रवासी भारतीय

कांग्रेस का विश्वास है कि भारतीय चाहे किसी भी देश में रहते हो या कार्य करते हो लेकिन भारत का अभिन्न अंग है।

01. कांग्रेस प्रवासी भारतीय मंत्रालय की स्थापना करेगी जो प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों जैसे सुरक्षा कार्य की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ उनके बच्चों की शिक्षा वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता तथा अंततोगत्वा उनकी सुरक्षित वापसी पर कार्य करेगा।
02. कांग्रेस विदेश में स्थित भारतीय मिशनों (दूतावास) को जिम्मेवारी देगा कि वे भारतीय नागरिकों के कार्य-सुरक्षा और काय-स्थितियों पर विशेष ध्यान दे, हम इस सम्बन्ध में मिशनों के कार्य की समीक्षा करने के लिए प्रवासी भारतीयों की समिति गठित करेंगे।
03. हम उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के अवसरों की समीक्षा तथा विस्तार करेंगे और भारत में स्थित कालेज और विश्वविद्यालयों में अनिवासी भारतीयों के बच्चों की फीस संरचना की भी समीक्षा करेंगे।
04. कांग्रेस अनिवासी भारतीयों को भारत में विनिवेश करने को प्रोत्साहित करने के लिए एन.आर.आई. निवेश योजना को बनाने और बढ़ाने का वायदा करती है। हम भारत में निवेश के इच्छुक अनिवासी भारतीयों के लिए एकल खिड़की स्थापित करेंगे तथा निवेश प्रक्रिया को सरल बनायेंगे।

# 23 नागरिकों एवं नागरिक संगठनों के साथ जुड़ाव

कांग्रेस अपने उस विश्वास को दोहराती है कि नागरिक समूह और संगठन, संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यूपीए सरकारों के समय नागरिक समूह और संगठनों ने हमारे एजेंडा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हम नागरिक/ सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को जारी रखने तथा उनके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित होते रहेंगे।

**01.** कांग्रेस सामाजिक एकता, एकजुटता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और आपसी मेल मिलाप की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुर्नगठन करेगी, कांग्रेस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुकी विघटनकारी और साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् के साथ मिलकर कार्य करेगी।

**02.** कांग्रेस विभिन्न सम्प्रदायों, समुदायों और धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाले धर्म गुरुओं को शामिल करते हुए एक Inter faith council का गठन करेगी, जिसका कार्य होगा कि वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, विचारगोष्ठियों के माध्यम से अलग-अलग मान्यताओं वाले समूहों के बीच सम्मान, पारस्परिक सहिष्णुता और बंधुत्व को प्रोत्साहित करेगी।

**03.** हम नागरिकों को नागरिक समाज संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हम एक ऐसा संस्थागत ढांचा बनायेंगे, जिसके तहत राज्य और केन्द्र सरकार नीतियों के निर्माण, कार्यक्रम को लागू करने और परिणामों पर प्रतिक्रिया देने के लिए नागरिक समाज संगठन से परामर्श लेंगे।

**04.** कांग्रेस नागरिक संगठनों से नीतियों और कार्यक्रम के लिए परामर्श और सलाह लेने के लिए नई और पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करेगी।

**कांग्रेस नागरिक/ सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को जारी रखेगी, ताकि सरकार उनके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित होती रहे। कांग्रेस, राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन करेगी**

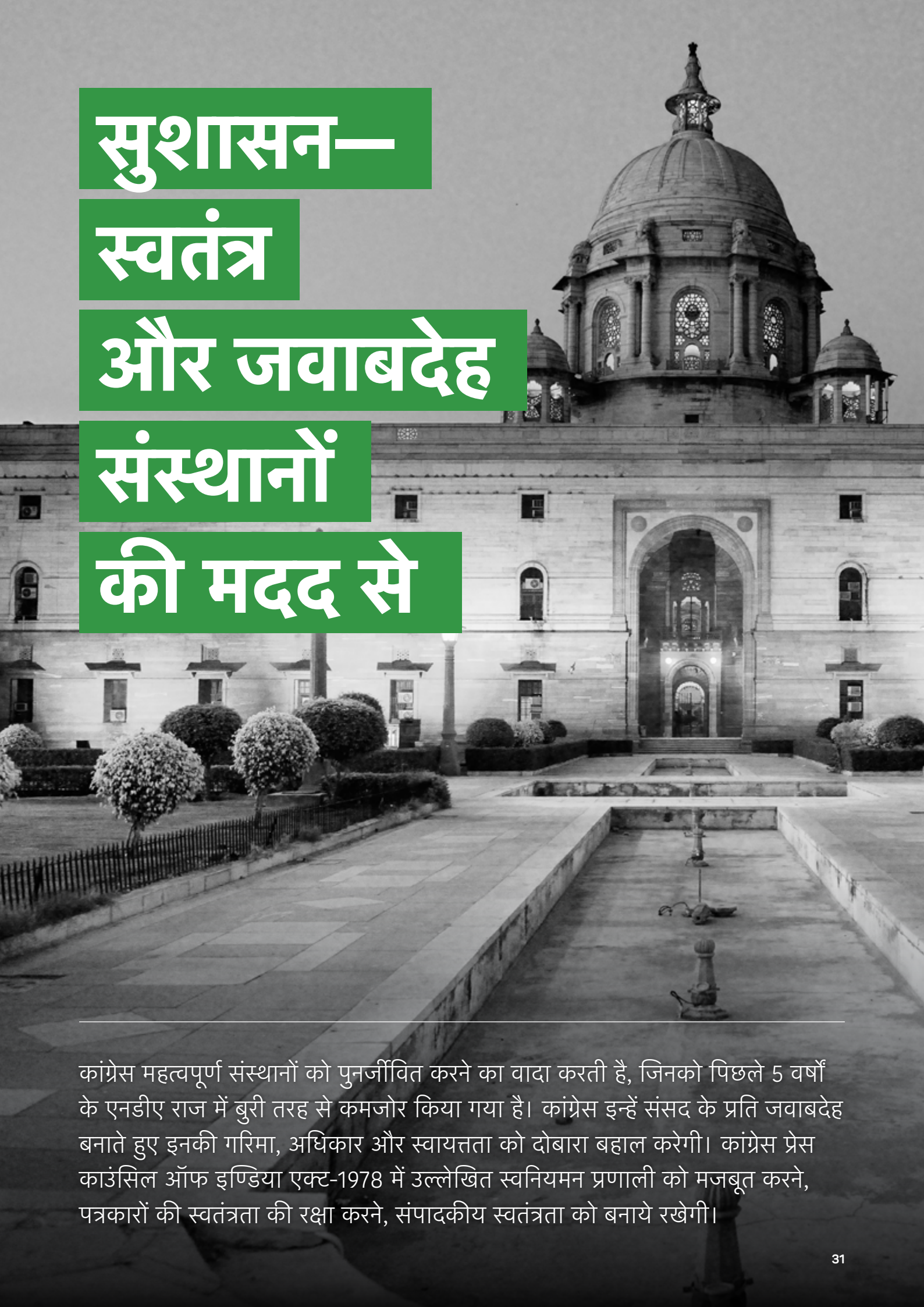

# सुशासन— स्वतंत्र और जवाबदेह संस्थानों की मदद से

कांग्रेस महत्वपूर्ण संस्थानों को पुनर्जीवित करने का वादा करती है, जिनको पिछले 5 वर्षों के एनडीए राज में बुरी तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को दोबारा बहाल करेगी। कांग्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया एक्ट-1978 में उल्लेखित स्वनियमन प्रणाली को मजबूत करने, पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाये रखेगी।

# 24 संस्थान

लोकतंत्र की रक्षा और उसे मजबूत करने वाले संस्थानों को इससे पहले कभी इतना कमजोर और कलंकित नहीं किया गया है, जितना की पिछले 5 वर्षो में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी अनेक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को छीन कर इन्हे पंगु बना दिया गया है।

**01.** कांग्रेस इन संस्थाओं को संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए उनकी गरिमा, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अधिकारों को बहाल करने का वायदा करती है। कांग्रेस वायदा करती है कि उन संस्थाओं के महत्व और कार्यक्षेत्र के अनुसार नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

**02.** कांग्रेस दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत आने वाले विषय, व्हिप का उल्लंघन करने, पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़ने या किसी दूसरे दल का समर्थन करने के मामले को नये सिरे से परिभाषित करके, कानून संसोधन करेगी। अयोग्य साबित किया हुआ व्यक्ति, अयोग्य साबित होने की तिथि से अगले 2 वर्ष तक, किसी भी सार्वजनिक पद (मंत्री सहित) और संसद और राज्य विधान मंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

**03.** हम संसद में किसी भी बिल का मसौदा रखने से पूर्व व्यापक सार्वजनिक परामर्श करेंगे।

**04.** सभी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम सामाजिक ऑडिट (अंकेक्षण) के दायरे में रहेंगे, कांग्रेस सामाजिक जवाबदेही अधिनियम बनाने का वायदा करती है।

**05.** कांग्रेस आधार अधिनियम 2016 में संशोधन का वायदा करती है, जिसके तहत आधार का उपयोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लाभ व सेवाओं तक ही सीमित रखा जा सकेगा। जैसा कि मूल कानून में भी स्पष्ट वर्णित था। कांग्रेस यह भी वायदा करती है कि बॉयोमीट्रिक पहचान की अपनी कुछ सीमाएं है, इसलिए पहचान के तौर पर अन्य वैकल्पिक साधनों की अनुमति भी दी जायेगी।

**06.** लोकपाल की नियुक्ति लोकपाल अधिनियम 2013 के अन्तर्गत किया जायेगा, लोकपाल नियुक्त करने के लिए बनने वाली समिति में लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया जायेगा।

# 25 भ्रष्टाचार विरोधी

**01.** कांग्रेस बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लागू करेगी।

**02.** राफेल सहित पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किये गये सौदों की जांच की जायेगी।

**03.** कांग्रेस उन कारकों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी, जिसके तहत पिछले पांच वर्ष में अनेक भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को देश छोड़ने की इजाजत दी गई है, उन्हें वापस लाकर कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी।

# 26 सरकार, पारदर्शिता और जवाबदेही

**01.** शासन को पारदर्शी, परिणामोन्मुखी और जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया में कांग्रेस प्रत्येक वर्ष अपने घोषणापत्र में किये वायदों पर जनता के सामने वक्तव्य देगी।

**02.** हम वायदा करते हैं कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कार्यक्रमों/नीतियों का सामाजिक ऑडिट किया जायेगा तथा प्रत्येक साल के अन्त में "क्या किया है और क्या छूट गया है" के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जायेगा।

**03.** कांग्रेस सूचना का अधिकार कानून का उसके 14 वर्ष के कामकाज के आधार पर मूल्याकंन करेगी। इस बीच इस कानून को कमजोर करने वाले प्रावधानों को हटाकर कानून को मजबूत करने वाले प्रावधानों को जोड़ा जायेगा, जिससे कि यह कानून और भी अधिक प्रभावी हो सके। कांग्रेस समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त करने का वायदा करती है।

**04.** हम सभी सरकारी, अर्धसरकारी एजेसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सार्वजनिक उद्यमों में विविधता का आंकलन कर, उसे सुनिश्चित करने के लिए विविधता सूचकांक (diversity index) की शुरूआत करेंगे।

**05.** कांग्रेस आम जनता को आवास, छात्रावास, होटल, क्लब जैसे साधन और सेवाएं देने में होने वाले जाति-धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के भेद को समाप्त करने के लिए, एक भेदभाव विरोधी कानून बनाने का वायदा करती है।

**06.** शिकायतों को अनिवार्य रूप से तथा समयबद्ध तरीके से निवारण करने के लिए कांग्रेस शिकायत निवारण विधेयक-2011 को पेश करेगी और पारित करायेगी।

**07.** व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन कानून-2016 के तहत सभी नियम और अधिनियमों को बनाया जायेगा, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि यह कानून कहीं से भी कमजोर न पड़े।

# 27 संघवाद और केन्द्र राज्य संबन्ध

संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता और आधारभूत सिद्धान्त है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय संविधान की आत्मा और केन्द्र राज्य संबंधों को कुचल कर रख दिया है। कांग्रेस का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश को सिर्फ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। आम लोगों के दैनिक जीवन के कई मुद्दें है जिनका हल राज्य सरकार (जो कि लोगां के ज्यादा नजदीक हैं) तथा कुल मामलों में स्थानीय सरकार/निकाय (पंचायत या नगर पालिका) के द्वारा आसानी से समझा और हल किया जा सकता है।

**01.** हम संविधान की सातवीं अनुसूची की समीक्षा करेंगे तथा कुछ विधायी क्षेत्रों को समवर्ती सूची 3 से हटाकर सूची 2 में हस्तांतरित करने के लिए आम सहमति बनायेंगे।

**02.** हम केन्द्र सरकार के उन मंत्रालयों और विभागों के आकार को कम करेंगे, जिन क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने पर्याप्त क्षमता प्राप्त कर ली है।

**03.** कांग्रेस राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बाल पोषण में कार्य करने में प्रधानता देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन विषयां के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार एक सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाती रहे।

**04.** कांग्रेस जी.एस.टी. पर मंत्रीपरिषद् समिति के साथ-साथ कृषि षिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मंत्रियों की समिति बनाने के विचार पर अमल करने का वायदा करती है।

**05.** हम पंद्रहवें वित्त आयोग की स्थापना करेंगे तथा राज्यों से आग्रह करेंगे कि वे भी अपने राज्यों में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करें।

**06.** संविधान का 73वां और 74वां संशोधन कांग्रेस सरकार की देन है, हम राज्य सरकारों को कहेंगे कि वे इन संविधान संशोधन के मूलस्वरूप, आत्मा और भावना के अनुसार स्थानीय निकायों नगरपालिका तथा ग्राम पंचायतो को कार्य, शक्तियां तथा धन आंवटित करें।

**07.** हम जी.एस.टी., राजस्व के हिस्से सहित पंचायतो और नगरपालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, कार्य करेंगे। हम जैसा कि 1988-89 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शासन काल में सफलतापूर्वक किया गया था पंचायतों और नगरपालिकाओं को केन्द्र सरकार की तरफ से सीधा धन आवंटन की संभावना तलाशेंगे।

**08.** कांग्रेस पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि और एकीकृत कार्य योजना जिसे कि यूपीए सरकार के समय क्रियान्वित करके बेहतरीन परिणाम हासिल किये गये थे, की समीक्षा करते हुए उन्हें दोबारा लागू किया जायेगा।

**09.** उत्तरपूर्व राज्यों का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसी के मद्देनजर संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कांग्रेस वायदा करती है कि

- **i.** पूर्वोत्तर राज्यों की विषेष श्रेणीवाली स्थिति बहाल रहेगी।
- **ii.** कुख्यात नागरिक संशोधन विधेयक, जिसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों में भारी आक्रोश है, को वापस ले लिया जायेगा।
- **iii.** पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर स्वायत जिला परिषदों के महत्व के मद्देनजर वित्तीय सहायता को बढ़ाया जायेंगा।

**10.** तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा राज्य सभा में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को की गयी घोषणा के अनुरूप आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा।

**11.** कांग्रेस पुद्दुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।

**12.** कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए स्पष्ट व्याख्या करेगी कि उप-राज्यपाल तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर अन्य सभी में मंत्रीपरिषद् की सलाह पर कार्य करेंगे।

**13.** कांग्रेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप और दमनदीव तथा दादरा और नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को सलाह के लिए स्वायत्त शाही परिषद् का गठन का वायदा करती है।

# 28 स्थानीय स्वषासन

कांग्रेस 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जननी है। हमारे देश में जहाँ कि ज्यादातर जनसंख्या महानगरों की परिधि से बाहर रहती है, पंचायतीराज स्वशासन का मौलिक आधार है।

**01.** कांग्रेस स्थानीय पंचायतों और नगर पालिकाओं की अवधारणा को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करती है।

**02.** कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि जी.एस.टी. का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) को आंबटित किया जाए।

**03.** कांग्रेस गांवों और पंचायतों से संबंधित मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकार बढ़ाने का वायदा करती है। कांग्रेस वर्ष में कम से कम दो बार ग्राम सभाओं की बैठक करने को अनिवार्य करेगी।

**04.** कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वायदा करती है कि ग्राम सभा के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमो को अक्षरशः पालन किया जाये।

- **i.** पंचायत अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)
- **ii.** वन अधिकार अधिनियम, 2006
- **iii.** भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013

# 29 न्यायपालिका

कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की हर कीमत पर रक्षा की जायेगी।

**01.** संविधान की व्याख्या करने तथा राष्ट्रीय तथा कानूनी महत्व के अन्य मामलों की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक न्यायालय बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा।

**02.** उच्च न्यायालयों और आदेशों की अपील सुनने के लिए, 6 अलग-अलग स्थानों मे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बीच, कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना करने के लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा। कोर्ट ऑफ अपील में 3 न्यायाधीशों की अने बेंच अपील का निपटारा किया करेंगी।

**03.** हम महिलाओं, एस.सी.-एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यकां तथा समाज के अन्य वर्गां जिनका न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व कम है, के प्रतिनिधित्व को सभी स्तरों में बढ़ाने का वायदा करते हैं।

**04.** हम न्यायपालिका के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष पर्याप्त धन आंवटित करेंगे।

**05.** कांग्रेस उच्च न्यायालयों और उच्चतम् न्यायलयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु को 65 वर्ष करने का वादा करती है। विभिन्न आयोगों ओर न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों की सेवानिवृति की आयु भी 65 वर्ष ही होगी। इससे जहाँ एक तरफ न्यायाधीशों को सेवानिवृति के पश्चात काम करने से रोका जायेगा, वहीं दूसरी तरफ योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीश न्यायिक सदस्य के रूप में सेवा करने का और अधिक अवसर मिलेगा।

**06.** कांग्रेस न्यायपालिका के सहयोग से न्यायाधीशों के प्रशासन में सुधार तथा रोस्टर प्रबंधन के लिए तकनीक के साथ-साथ पेशेवरों की नियुक्ति करेगी।

**07.** हम मुकदमों पर नजर रखने और मामलों की सुनवाई तथा निर्णयों में तेजी लाने के लिए न्यायपालिका के हर स्तर पर तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेंगे।

**08.** विद्वानों, ईमानदार एवं स्वतंत्र न्यायधीश न्यायपालिका की आत्मा हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय न्यायायिक आयोग (एन.जे.सी.) को स्थापित करने का वायदा करती है। एन.जे.सी. में न्यायधीश, न्यायविद्ध और सांसद सदस्य के तौर पर होगे तथा इनकी सदस्यता के लिए एक पूर्णकालिक सचिवालय होगा। राष्ट्रीय न्यायायिक आयोग का कार्य उच्च और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों नियुक्ति करना है। सभी उम्मीवारों के नाम तथा चयन की प्रक्रिया तथा चयन के कारण को सार्वजनिक पटल पर रखा जायेगा ताकि चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरकरार रहे। इस व्यवस्था के बनने के दो महीने पश्चात उच्च एवं उच्चतम् न्यायलयों से रिक्त पद भरने के प्रयास किये जायेंगे।

**09.** कांग्रेस कानून बनाकर एक स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी जो न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार की शिकायते देकर उपयुक्त कार्यवाही के लिए संसद को परामर्श देंगे।

---

# 30 कानून नियम और विनियमो की पुन:परख

नागरिक स्वतंत्रता हमारे लोकतांत्रिक गणंराज्य की प्रमुख पहचान है। कानूनों का उद्देश्य स्वतंत्रता को मजबूती देना है, कानून सिर्फ और सिर्फ हमारे संवैधानिक मुल्यों को दर्शाने के लिए होने चाहिए।

कांग्रेस का मानना है कि हम एक अति विधायी और अतिविनियमित देश बन गये है, कई कानूनों नियमों और अधिनियमों ने नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया है। नतीजतन नवाचार, जिसकी वजह से उद्यमशीलता में नये प्रयोगों औद्योगिकी के नये प्रयासों पर एक तरह के प्रतिबंध लग गये हैं, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

कांग्रेस सभी नियमों, विनियमों और कानून की व्यापक समीक्षा करेगी और

- **i.** आज के संदर्भों के हिसाब से पुराने और बेकार हो चुके कानूनों को खत्म करेगी, जो बेवजह नागरिकों की स्वतंत्रता पर अड़चन डालतें हैं।
- **ii.** उन सभी साधनों और प्रक्रिया में संशोधन करके उन्हें संवैधानिक मुल्यों के अनुरुप बनायेंगे।
- **iii.** नागरिकों द्वारा रोजमर्रा के जीवन में पालन किये जाने वाले नियमों, कानूनों और विनियमों की संख्या को कम करेगी ।

कांग्रेस विशेष रुप से वायदा करती है कि

**01.** नागरिकों द्वारा सामान्यतः उल्लंघन किये जाने वाले कानूनां को गैर आपराधिक बना कर दीवानी कानूनों के दायरे में लाना।

**02.** भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 499 को हटा कर मानहानि को एक दिवानी अपराध बनाएंगे।

**03.** भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) जिसका कि दुरुपयोग हुआ, और बाद में नये कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है उसे खत्म किया जायेगा।

**04.** उन कानूनों को संशोधित करेगे जो बिना सुनवाई के व्यक्ति को गिरफ्तार और जेल में डालकर संविधान की आत्मा के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों सम्मेलनों का भी उल्लघंन करते है।

**05.** हिरासत और पूछताछ के दौरान थर्ड-डिग्री तरीको का उपयोग करने और अत्याचार, क्रूरता या आम पुलिस ज्यादतियों के मामलों को रोकने के लिए अत्याचार निरोधक कानून बनायेंगे।

**06.** सशस्त्र बलों (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 में से यौन हिंसा, गायब कर देना तथा यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जायेगा ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे।

07. कोई भी जांच एजेंसी जिसके पास-तलाशी लेने, जब्त करने संलग्न करने, पूछताछ करने और गिरफ्तार करने की शक्तियां है, वह सभी भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संविधान के अधीन होगें, इसके लिए कांग्रेस कानूनों में आवश्यक संशोधन करेगी।
08. आपराधिक प्रक्रिया संहिता और संबधित कानूनों को इस सिद्धान्त के तहत संशोधित करना है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद।
09. प्रशासनिक स्तर पर कांग्रेस वादा करती है कि
    i. 3 साल या कम की सजा वाले अपराधों में विचाराधीन कैदीयों और हवालातीयों, जिन्होने 3 महीने या उससे अधिक से जेल में हैं, को तुरन्त रिहा किया जाए।
    ii. सभी हवालातियों और विचाराधीन कैदियों, जो 3 से 7 साल के कारावास की सजा भुगतने वाले अपराधां में जेल में बन्द हैं, और जिन्होनें 6 महीनो से अधिक जेल में बिताए हो, को तुरन्त रिहा किया जाये।
    iii. व्यापक जेल सुधार कार्यक्रम को इस सिद्धान्त के साथ शुरू किया जायेगा कि कैदी मानव और कानूनी अधिकारों के सुरक्षा घेरे में रहें, तथा जेल अपराधियों को सुधारने की संस्था है।

**कांग्रेस सरकार सत्ताधारी दल के पक्ष में बनाये गये संदिग्ध और अपारदर्शी चुनाव (निर्वाचक) बॉड स्कीम को बन्द करेगी तथा 'राष्ट्रीय चुनाव कोष' स्थापित करने का वायदा करती है।**

## 31 चुनाव सुधार

चुनाव में काले धन का उपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने के तरीकों को रोक पाने में चुनाव आयोग पूरी से अप्रभावी रहा है हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कारगर उपाय करेंगे।

01. हम सत्ताधारी दल के पक्ष में बनाये गये संदिग्ध और अपारदर्शी चुनाव (निर्वाचक) बॉड स्कीम को बन्द करेंगे।
02. कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करने का वायदा करती है। जिसमे कोई भी व्यक्ति योगदान कर सकता है, कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव के समय धन आवंटित किया जायेंगा।
03. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी. से छेडछाड न हो सके। मतगणना के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत ई.वी.एम. तथा वी.वी.पी.ए.टी. का मिलान भौतिक गणना के साथ किया जाये।
04. हम ऑल इंडिया रेडियों और दूरदर्शन पर चुनाव के समय कानून द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निष्पक्ष रूप से और अधिक समय आवंटित करेंगे।

# 32 पुलिस सुधार

**01.** पुलिस, कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। प्रकाश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित पुलिस सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस राज्य सरकारों से परामर्श करेगी। सर्वसम्मति के आधार पर कांग्रेस मॉडल पुलिस अधिनियम पारित करेगी तथा राज्यों को राज्य विधान सभाओं से पारित करवा कर अधिनियमित करने और अपनाने की सलाह देगी।

**02.** मॉडल पुलिस अधिनियम का उद्देश्य पुलिस बलों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, सक्षम, नागरिक अनुकुल तथा मानवधिकारों और कानूनों के तहत संरक्षक के रूप मे तैयार करेंगे।

**03.** मॉडल पुलिस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये जायेंगे -

- **i.** राज्य पुलिस बल को एक स्वतंत्र पुलिस जवाबदेही आयोग के साथ-साथ राज्य विधानमंडल को वार्षिक रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी बनाया जायेगा।
- **ii.** पुलिस बल को विकेन्द्रीकृत करना तथा पुलिस बल की निगरानी के लिए समुदाय को शामिल करना।
- **iii.** राज्य पुलिस महानिदेशालय की सीधी देखरेख में राज्य पुलिस बल के विशेष विंग द्वारा साम्प्रदायिक दंगा, लिंचिंग और सामूहिक बलात्कार मामलों की जांच करना।

**04.** कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर पुलिस बलों के आकार में वृद्धि करने का वायदा करती है। 18 महीने के अन्दर मौजूदा सभी रिक्तियां भरने तथा भविष्य में खाली होने वाले पदों को भरने के लिए एक वार्षिक भर्ती कार्यक्रम बनायेंगे।

**05.** हम राज्य सरकारो के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पुलिस बल में राज्य की विविधता के अनुसार प्रतिनिधित्व हो। वंचित समूहों, महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

**06.** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य पुलिस बल सीधी भर्ती तथा कांस्टेबल और अधिकारियों के पदोन्नति के दौरान महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के मापदण्ड का सम्मान करे।

# 33 मीडिया और मीडिया की स्वतंत्रता

कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि मीडिया को स्वतंत्र और स्वनियंत्रित होना चाहिए

**01.** हाल के दिनों में मीडिया के कुछ हिस्से ने या तो अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया है या आत्मसमपर्ण। आत्मनियमन/स्वनियंत्रण मीडिया की स्वतंत्रता के दुरूपयोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, कांग्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया एक्ट-1978 में उल्लेखित स्वनियमन की प्रणाली को मजबूत करने, पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाये रखने और सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ रक्षा करने का वायदा करती है।

**02.** कांग्रेस फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद् को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 में संशोधन करने का वादा करती है।

**03.** हम प्रेस कांउसिल ऑफ इण्डिया के साथ मिलकर अखबारों और मीडिया संघों के लिए एक आदर्श आचार संहिता विकसित करेंगे, जो प्राकृतिक आपदा, साम्प्रदायिक संघर्ष, दंगों, आतंकवादी हमलों और युद्ध की स्थिति में रिर्पोटिंग को नियंत्रित और संयमित करते हुए संतुलन कायम कर सके, जिससे उपरोक्त वर्णित विपरित परिस्थितियों में, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था के रखरखाव में दिक्कत पैदा न हो।

**04.** कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार रोकने के लिए कानून पारित करेगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों के क्रॉस स्वामित्व तथा अन्य व्यवसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण न किया जा सके। कांग्रेस भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को संदिग्ध एकाधिकार के मामलों की जांच के लिए कहेगी।

**05.** कांग्रेस इंटरनेट की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और सरकारी हस्तक्षेप से इंटरनेट के मनमाने ढ़ंग बाधित करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए, कानून पारित करने का वादा करती है।

**06.** हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि संघर्ष के क्षेत्रों में कार्यरत् सार्वजनिक हित के मामलों की जांच करने वाले पत्रकारों या उन पत्रकारों, जिनके जीवन को खतरा है, नियमानुसार पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सके।

**07.** कांग्रेस सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1927 में संशोधन करके, फिल्मों की सेंसरशिप के आधार को अश्लीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित रखेंगे हम पारदर्शी और उचित मापदण्डों के अनुसार फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देशित करेंगे।

# 34 संभावित परियोजना और नया योजना आयोग

भारत जैसे विशाल राष्ट्र में जहाँ विशिष्ट विषयों को संचालित करने वाले अनेक मंत्रालय एवं विभागों के साथ राज्य और केन्द्र सरकारों की संघीय प्रणाली हों, वहाँ आवश्यक हो जाता है कि एक विशेषज्ञ निकाय हो जो -

i. प्रतिस्पर्धी दावों का मूल्यांकन करे।
ii. केन्द्र व राज्य सरकारो के बीच और वित्त मंत्रालय व विभिन्न विभागो के बीच धन के आवंटन की मध्यस्थता करें।
iii. धन के उपयोग की निगरानी करे।
iv. व्यय ब्यौरा परिणामों के बीच के अंतर का आंकलन और मूल्यांकन करें।

योजना आयोग ने अन्य कार्यों के अतिरिक्त इन कार्यों को भी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। भाजपा सरकार का योजना आयोग को समाप्त करने का निर्णय बेतूका और विचारहीन था।

01. कांग्रेस नीति आयोग को निरस्त करेगी, जो पूरी तरह से सिर्फ अक्षम और नाकाम साबित हुआ है। कांग्रेस मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं को तैयार करने तथा संघीय प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, एक स्वतंत्र विषेषज्ञ निकाय के रूप में नये सिरे से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ, योजना आयोग के गठन का वायदा करती है।

02. कांग्रेस का वायदा है कि नया योजना आयोग, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीयों और वित्तीय विशेषज्ञों का एक छोटा संगठन होगा, जिसकी सहायता के लिए उच्च गुणवत्ता वाली विद्वानों और सहायकों की टीम हो, जिनकी संख्या अधिकतम् 100 होगी।

# स्वाभिमान— वंचितों का आत्मसम्मान

कांग्रेस 17 वीं, लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्य सभा में, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी, हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेंगे।

# 35 महिला सशक्तीकरण और लिंगसंवेदीकरण

ऐतिहासिक रूप से महिला अधिकारों, समानता और सशक्तीकरण के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत की एक मात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता थीं। हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अनेक कानून बनाये, हम लिंगसंवेदी शब्द को योजनाओं की मुख्य धारा में लेकर आये।

**01.** कांग्रेस 17 वीं, लोकसभा के पहले सत्र में, और राज्य सभा में, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी।

**02.** हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेंगे।

**03.** समान पारिश्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जायेगा। हम महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबधित कानूनों की समीक्षा करेंगे।

**04.** हम प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत्, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, कामकाजी सुरक्षित छात्रावास और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

**05.** हम महिलाओं को रात की पाली में काम करने से प्रतिबंधित करने वाले कानून के प्रावधान को रद्द् कर देंगे।

**06.** प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाये जायेंगे। कस्बों और शहरों में महिलाओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालयों की संख्या बढ़ाई जायेगी। सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जायेंगी।

**07.** कांग्रेस कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 की व्यापक समीक्षा करेगी और इस अधिनियम को सभी कार्यस्थलों तक विस्तारित करने का वादा करेगी, हम महिला उत्पीडन के किसी भी रूप को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

**08.** कांग्रेस महिला एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच के लिए एक अलग जांच एजेंसी स्थापित करने के लिए एक मॉडल कानून पारित करेगी तथा राज्य सरकारों से भी इसी मॉडल कानून की तर्ज में कानून बनाने का आग्रह करेगी।

**09.** महिला स्वयं सहायता समूहों, जिनकी संख्या आज 87 लाख है, की शुरूआत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM आजीविका) की शुरूआत की थी। हम स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनाने, आजीविका के साधन बढ़ाने और सामाजिक बदलाव की शुरूआत करने के लिए NRLM-2 की शुरूआत करने का वायदा करते हैं।

**10.** हम एकल विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को गौरवपूर्ण और सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, कार्यक्रम लागू करेंगे।

**11.** कांग्रेस महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा कानूनों को शक्ति के साथ लागू करने में मदद करने के लिए प्रत्येक पंचायत में महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति करेगी।

**12.** हम विवाह के पंजीकरण को कानून आवश्यक करने के लिए, कानून बनायेंगे तथा बाल विवाह निरोधक कानून को सख्ती से लागू करेंगे।

**13.** कांग्रेस आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का विस्तार करेगी और हर आंगनवाड़ी में जरूरत और मांग के हिसाब से एक क्रेच प्रदान करने का वादा करती है।

# 36 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

भारत का संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। हमें अपने समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये इससे भी अधिक करना चाहिए।

**01.** एस.सी., एस.टी और ओबीसी जो कुल जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत के करीब है, के लिए कांग्रेस एक समग्र और सकारात्मक कार्यक्रम का वायदा करती है। इसलिये, कांग्रेस समान अवसर आयोग स्थापित करने का वादा करती है, जो शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में बराबरी- और समान हिस्सेदारी - प्रदान करने के लिये सकारात्मक रणनीतियों और कार्यनीतियों की सिफारिश करेगा। हम समान अवसर आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे।

**02.** हम 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली के मूल उद्देश्य और इरादे को बहाल करने के उद्देश्य से कानून पारित करेंगे, और इसे सभी संस्थानों में सम्पूर्णता के साथ लागू करेंगे।

**03.** कांग्रेस 12 महीनों के भीतर सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केंद्रीय संगठनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का वादा करती है।

**04.** कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिये संविधान में संशोधन करने का वादा करती है।

**05.** कांग्रेस गैर-दलितों के कब्जे से पंचमी और महर भूमि का अधिग्रहण करके उससे एससी व एसटी को भूमि वितरित करेगी।

**06.** हम एक योजना लागू करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक एससी और एसटी बस्ती में पानी, सफाई, बिजली और आंतरिक सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

**07.** अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और स्वास्थ्य जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

**08.** हम वर्तमान में एससी, एसटी और ओबीसी अध्येताओं को मिलने वाली राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का विस्तार करेंगे और इसकी संख्या बढ़ाएंगे।

09. एससी, एसटी और ओबीसी को समान के रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिये, कांग्रेस सरकारी स्कूलों को छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा में अध्ययन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को अपनाने पर जोर देगी।
10. कांग्रेस निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने के लिये कानून पारित करने का वादा करती है।
11. हम स्कूलों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिये राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे और एससी, एसटी के इतिहास और संस्कृति तथा इन समुदायों से संबंधित नेताओं के योगदान की विषयवस्तु पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।
12. वन अधिकार अधिनियम, 2006 को अक्षरशः लागू करने और अनुसूचित जनजाति को इस कानून के तहत गारंटीकृत अधिकार दिलाना हमारा राष्ट्रीय मिशन होगा।
13. कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम और क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के बीच की विसंगतियों को दूर करने और ग्राम सभा की भूमिका स्पष्ट करने का वादा करती है।
14. हम वन अधिकार अधिनियम के तहत खारिज किये गये सभी आईएफआर/सीएफआर दावों की समयबद्ध समीक्षा और 6 महीनों के भीतर इनके निपटारे का वादा करते हैं। इस बीच, हम आसन्न बेदखली का सामना करने वाले 18.9 लाख परिवारों की बेदखली को रोक देंगे।
15. हम गैर-इमारती लकड़ी उत्पादन के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे और आदिवासियों की आजीविका और आय में सुधार के लिए ऐसी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे।
16. सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खरीद और सरकारी अनुबंधों का उचित हिस्सा एससी, एसटी और ओबीसी को दिया जाए।
17. हम सरकारों को अपने बजट दस्तावेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिये आवंटन और जनजातीय उप-योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन, का पारदर्शी तरीके से खुलासा करने तथा ऐसी निधियों के दूसरे इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिये कानून पारित करेंगे।

# 37 जम्मू-कश्मीर

26 अक्टूबर, 1947 को 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रमों की गवाह रही है। कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम राज्य के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसके वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जायेगा।

01. कांग्रेस की सोच रही है कि जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को समझने और उनके मुद्दों का सम्मानजनक समाधान खोजने के लिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। हम इसी रास्ते को अपनायेंगे।
02. हम दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाएंगे - सबसे पहले, सीमा पर पूरी दृढ़ता के साथ घुसपैठ के प्रयासों को समाप्त करना, और दूसरा, लोगों की मांगों को पूरा करने तथा उनके दिलो को जीतने के लिए पूर्ण निष्पक्षता के साथ हर संभव उपाय किये जायेंगे।
03. कांग्रेस ने सशस्त्र बलों की तैनाती की समीक्षा करने, घुसपैठ रोकने के लिये सीमा पर अधिक सैनिकों को तैनात करने, कश्मीर घाटी में सेना और सीएपीएफ की मौजूदगी को कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी सौंपने का वादा करती है।
04. जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जायेगी। सुरक्षा की जरुरतों और मानवाधिकारों के संरक्षण में संतुलन के लिये कानूनी प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किये जायेंगे।
05. भारत, राज्यों का संघ है, जो समावेशिता का एक खूबसूरत नमूना है। जम्मू-कश्मीर और यहां की समस्याओं को खुले दिल के साथ सैन्यशक्ति और कानूनी प्रावधानों से परे, एक अभिनव संघीय समाधान की तलाश करें। कांग्रेस राज्य में सभी पक्षों के साथ, धैर्यपूर्वक बातचीत के माध्यम से, स्थाई समाधान खोजने का वादा करती है।
06. कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों से बिना शर्त बातचीत का वादा करती है। हम इस तरह की बातचीत के लिये नागरिक समाज से चुने हुए 3 वार्ताकारों की नियुक्ति करेंगे।
07. हम यूपीए सरकार द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शरू किये कार्यक्रम उड़ान, हिमायत और उम्मीद को नये सिरे से शुरू करेंगे और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने हेतु नये अवसर पैदा करेंगे।
08. राज्य विधानसभा के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तुरंत कराये जायेंगे।
09. हम देश के बाकी हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति बेहद चिंतित हैं और हम उनकी सुरक्षा और उनके अध्ययन या व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे।

# 38 पूर्वोत्तर राज्य

कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूर्वोत्तर राज्य भारत का अनूठा और अमूल्य हिस्सा है, जो हमारे देश को समृद्ध संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं, रीति-रिवाज और जैव-विविधता प्रदान करते हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों और यहां के लोगों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिये तथा क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

**01.** कांग्रेस वादा करती है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष दर्जे को बहाल किया जायेगा।

**02.** कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों के लिये औद्योगिक नीति का वादा करती है।

**03.** पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की इच्छा के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा पेश नागरिकता संशोधन विधेयक को हम तुरंत वापस करेंगे।

**04.** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत का कोई भी वैध नागरिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होने से न छूटे।

**05.** हम पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापक बातचीत के जरिये, हल करेंगे और स्थानीय समूदायों की पहचान बरकरार रखने के लिए विधायी उपायों पर आम सहमति बनायी जायेगी। हम भारत में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को हल करने के लिये चर्चा में, पड़ोसी देशों, बांग्लादेश और म्यांमार को भी शामिल करेंगे।

**06.** कांग्रेस बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से लगी हुई पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगी, सीमाओं से जुड़े किसी भी मसले को हल करने के लिये पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की जायेगी और सीमाओं को 'प्रगति और समृद्धि की सीमाएं' बनाया जायेगा।

**07.** हम लंबित पड़े अंतर-राज्यीय मुद्दों सहित पूर्वोत्तर में सीमा से जुड़े सभी मसलों का बातचीत या मध्यस्थता के जरिये समाधान करेंगे।

**08.** पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए, सीमापार से व्यापार के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में नियमित आयात-निर्यात व्यापार से पर्याप्त नौकरियों सहित, भारी आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे। हम पूर्व के सभी पडोसी देशों के साथ, खास तौर पर सीमा व्यापार को बढ़ाने के लिए, स्पष्ट और नवीन उपाय करके व्यापार बढायेंगे।

**09.** कांग्रेस पूर्वोत्तर परिषद् को मजबूत करेगी और परिषद् के मूल उद्देश्य को विस्तार और मजबूत बनाने के लिये ठोस कदम उठाएगी।

**10.** हम उन सभी नीतियों और विशेष कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा करेंगे, जिनका पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन हो रहा है और जहां भी जरुरी होगा इसमें संशोधन करेंगे।

**11.** कांग्रेस, पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास, विशेष रूप से रेलवे, सड़क, संचार, कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिये, बजट आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि करने का वादा करती है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के अंतर को दूर करने के लिये पर्याप्त धन देंगे।

**12.** पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध, जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाकर, हम स्थायी कृषि, बागवानी और जैविक खेती में, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।

**13.** हम ब्रह्मपुत्र के पानी का दोहन करने और बाढ़ तथा मिट्टी के कटाव की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। हम पूर्वोत्तर इलाके में मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली बनाने के लिये शक्तिशाली-सदा नीरा ब्रह्मपुत्र द्वारा प्रदान किये गये अवसरों का लाभ लेने के लिए विशेष प्रयोजन करेंगे।

**14.** कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों की स्वायत्त जिला परिषदों के महत्त्व को स्वीकार करती है और इन परिषदों की वित्तीय सहायता बढ़ाने का वादा करती है।

**15.** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय बागान श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान मिले और उन्हें द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार तय और कानूनन मिलने वाले अन्य लाभ दिये जाएं।

# 39 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक

सच्चे लोकतंत्र की ताकत और जीवंतता अक्सर उसके अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकारों और संरक्षण में देखी जाती है। भाजपा राज में पिछले 5 वर्षों में अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ घृणा अपराधों और अत्याचारों में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार के घृणित अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी बेधड़क खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं।

**01.** कांग्रेस धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा का वचन देती है : कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29, और 30 के तहत गारंटी किये गये भेदभाव रहित, रोजगार में समान अवसर, धार्मिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, को बनाये रखने का वादा करती है।

**02.** हम भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करने का वचन देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29, और 30 में वर्णित गये भेदभाव रहित, रोजगार में समान अवसर और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, अधिकारों को बनाये रखने का भी वादा करते हैं।

**03.** कांग्रेस वादा करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिये नियम बनाये जायेंगे कि दस वर्षों पर होने वाली जनगणना में मातृ भाषा या पसंदीदा बोलने वालो के आंकड़ों की सटीक जानकारी मिले कि किसी भाषा को कितने लोग अपनी मातृभाषा या पसंदीदा बोलचाल की भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

**04.** कांग्रेस संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई या नहीं की गई सभी भाषाओं को संरक्षण और बढ़ावा देने का वादा करती है। जहां तक संभव होगा, अनुसूचित जनजातियों और घुमंतू जनजातियों की भाषाओं सहित, ऐसी सभी भाषाओं के उपयोग, को ऐसे इलाकों में, जहां ऐसी भाषाएं लोगों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती हैं, प्रशासन के बोलचाल में प्रोत्साहित करेंगे।

**05.** हम सांकेतिक भाषा के उपयोग का समर्थन करते हैं, जिसका इस्तेमाल लाखों दिव्यांगजन अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं।

**06.** कांग्रेस इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि स्कूली शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में सर्वोत्तम रूप से दी जाती है, और शिक्षा के पसंदीदा माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये, राज्य सरकारों की कोशिशों का समर्थन करने का वादा करती है।

**07.** हम राज्यों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य की आधिकारिक भाषा(ओं) को सिखाने-पढ़ाने के लिये राज्य सरकारों के प्रयासों का भी समर्थन करेंगे।

**08.** हम 17 वीं लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्यसभा में, उन्मादी भीड़ द्वारा, आगजनी और हत्या जैसे नफरत भरे अपराधों की रोकथाम और दंडित करने के लिये नया कानून पारित करायेंगे। इस कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने और लापरवाही के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के प्रावधान होंगे।

**09.** वक्फ संपत्तियों (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक, 2014 को फिर से पेश किया जायेगा और पारित किया जायेगा। वक्फ संपत्तियों पर कानूनी ट्रस्टियों का अधिकार बहाल किया जायेगा।

**10.** कांग्रेस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के स्वरूप को बनाये रखने का वादा करती है।

**11.** हम वादा करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दूसरे समान आयोगों की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा दिया जायेगा।

**हम 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्यसभा में, उन्मादी भीड़ द्वारा, आगजनी और हत्या जैसे नफरत भरे अपराधों की रोकथाम और दंडित करने के लिये नया कानून पारित करायेंगे। इस कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने और लापरवाही के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के प्रावधान होंगे।**

## 40 विमुक्त जनजातियां और अर्धघुमंतू जनजातियां

विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों ने लंबे समय से भेदभाव और उपेक्षा का सामना किया है। कांग्रेस का मानना है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे इन समूहों तक पहुँचें और इनके साथ होने वाले अन्याय को दूर करें।

**01.** कांग्रेस विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की गणना और उनके आंकड़ों को दशकीय जनगणना के साथ एकीकृत करने के लिये एक विशेष जनगणना का वादा करती है।

**02.** हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के तौर पर विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए पूरक आरक्षण प्रदान करने की व्यवहार्यता की पड़ताल करेंगे।

**03.** हम 'आदतन अपराधी अधिनियम, 1952' को तत्काल रद्द कर देंगे, जो विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के उत्पीड़न का कारण बना और इसके जरिये उन्हें कलंकित किया गया, उनके साथ भेदभाव हुआ है।

**04.** कांग्रेस विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, खास तौर पर बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों के साथ, मिलकर काम करेगी, ताकि वे फायदेमंद रोजगार पा सकें और आर्थिक विकास का फायदा उठा सकें।

# 41 वरिष्ठ नागरिक

कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि भारत की करीब 9 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की है और यह अनुपात धीरे-धीरे बढ़ेगा।

कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रगति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त बदलावों को करने का वादा करती है।

**01.** स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तहत हम अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग इलाज, दवाईयां और अस्पताल में इलाज सहित सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक जिला-स्तरीय अस्पताल में पर्याप्त बेड वाले जरा-चिकित्सा वार्ड खोले जाएंगे।

**02.** हम बेहतर ढंग से सोच-समझकर तैयार की गयी पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्रस्तुत करेंगे, जो बीमित व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक बनने पर इज़्ज़त और आराम के जीवन की गारंटी देंगी।

**03.** वरिष्ठ नागरिक जिन समुदायों में रहते हैं उसके विकास में योगदान कर सकते हैं। हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसा करने के अवसर पैदा करेंगे।

**04.** हम कानूनी सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपेक्षा, दुरुपयोग, परित्याग, बेदखली और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में मदद दिलाने के लिये उपाय करेंगे।

**05.** कांग्रेस 'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2017 के रखरखाव और कल्याण के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का वादा करती है।

# 42 दिव्यांग जन

एक अनुमान के अनुसार, भारत में 4 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। कांग्रेस दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान को बनाये रखने के लिए दृढ़ता के साथ संकल्पित है।

हम दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और अपने परिवार के कल्याण तथा देश के विकास में योगदान देने के लिये फायदेमंद एवं उचित अवसर प्रदान करने का वादा करते हैं।

**01.** संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में 'दिव्यांगता' या 'शारीरिक दुर्बलता' के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिये संशोधन किया जायेगा।

**02.** सभी सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और निजी परिसरों को दिव्यांगों के लिये समावेशी और सुलभ बनाया जायेगा।

**03.** हम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल सभी 21 दिव्यांगताओं की जानकारी तक पहुंच को आसान बनाने के लिये, और दिव्यांग जनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सूचना पोर्टल स्थापित करेंगे।

**04.** कांग्रेस सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी करेगी कि वे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की त्वरित समीक्षा करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दिव्यांग जनों के अधिकारों को मानते हैं, उनका संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं।

**05.** हम ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषाओं के रूप में मान्यता देने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करेंगे।

**06.** हम विशेष शिक्षा की जरुरत वाले बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 'विशेष शिक्षा का राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करेंगे।

**07.** कांग्रेस दिव्यांगों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों की वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू कराने का वादा करती है।

**08.** सभी सहायक और अनुकूल सहायक उपकरण, यंत्र और साधन जीएसटी 2.0 के तहत शून्य-दर में शामिल किये जायेंगे।

**कांग्रेस सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और उन्हें निरस्त करेगी, जो पुराने पड़ चुके हैं, अन्यायपूर्ण हैं या अनुचित रूप से लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं।**

# 43 एलजीबीटीक्यूआईए+ के अधिकार

कांग्रेस लोगों के बीच लैंगिक विविधता को स्वीकार करती है और विभिन्न लैंगिक पहचान वाले लोगों को बराबरी और कानूनों के समान संरक्षण का वादा करती है।

**01.** कांग्रेस नवतेज सिंह जोहर मामले में निर्णय का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का वादा करती है। हम एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

**02.** हम संसद में लंबित 'ट्रांसजेंडर विधेयक, 2018' को तत्काल वापस करायेंगे। इसकी बजाय, कांग्रेस एक विधेयक पेश करेगी जो नालसा मामले में फैसले के अनुरूप होगा। नये विधेयक को एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के परामर्श से तैयार किया जायेगा।

**03.** हम सशस्त्र बलों और पुलिस बलों सहित सभी सरकारी विभागों और संगठनों में लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण, खास तौर पर एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के अधिकारों के लिए, अनिवार्य किये जाने के लिये निर्देशित करेंगे।

# सम्मान— सभी के लिये सम्मानजनक जीवन

कांग्रेस सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा करती है, जिसके तहत हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिये भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलेगी। वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत किया जायेगा।

# 44 स्वास्थ्य देखभाल

शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य देखभाल भी जनहित से जुड़ा है। पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक–बच्चे, वयस्क और वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है। स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना केंद्र और राज्य सरकारों की साझा ज़िम्मेदारी है।

**01.** कांग्रेस वादा करती है कि वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत किया जायेगा। 2023-24 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल सालाना बजट में इस मद में बढ़ौत्ती के साथ इसका संकेत मिलेगा।

**02.** कांग्रेस ने सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा किया है, जो हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिये भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलेगी।

**03.** हमारा ये पक्का मानना है कि हमारे देश में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये बीमा आधारित मॉडल, पसंदीदा मॉडल कतई नहीं हो सकता है। कांग्रेस सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुफ्त सार्वजनिक अस्पताल-मॉडल को तेजी से बढ़ावा देने और लागू करने का वादा करती है।

**04.** कांग्रेस मुफ्त डायल-इन-एम्बुलेंस सेवा का विस्तार करेगी और भारत के सभी जिलों में ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस को सड़क पर उतारेगी।

**05.** सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यात्रियों के साथ-साथ आसपास के इलाकों की आबादी की जरुरतों को पूरा करने के लिए ट्रॉमा और आपातकालीन केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

**06.** हम सभी सार्वजनिक अस्पतालों में बाल स्वास्थ्य सेवाओं (प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर और बाल चिकित्सा) तथा जराचिकित्सा सेवाओं का विस्तार करेंगे।

**07.** हम निजी और सार्वजनिक नैदानिक प्रतिष्ठानों के कामकाज में जवाबदेही के लिए नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 (Clinical Establishment Act) को लागू करेंगे।

**08.** कांग्रेस वादा करती है कि निजता, गतिशीलता और अंतर-संचालन के उपयुक्त प्रावधानों के साथ एक मजबूत आईसीटी बुनियादी ढांचे की नींव पर चिकित्सा अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देगी और धीरे-धीरे अनिवार्य रूप से अमल में लायेगी।

**09.** हम अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन नीति तैयार करने का वादा करते हैं।

**10.** जनसंख्या अनुपात में भारत का वर्तमान चिकित्सक अनुपात 1:1681 है और जनसंख्या अनुपात में सरकारी चिकित्सक अनुपात 1:11,528 है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करके, मेडिकल कॉलेजों की क्षमता बढ़ाकर और चिकित्सा शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शैक्षिक ऋण प्रदान करके विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का वादा करती है।

**11.** कांग्रेस चिकित्सा पेशेवरों जैसे नर्सों, पैरामेडिक्स और मेडिकल तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में पूर्व अर्हता प्राप्त संस्थानों को लाइसेंस देने का वादा करती है।

**12.** हम स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में भारतीय चिकित्सा पद्धति 'आयुष' को बढ़ावा देंगे।

**13.** कांग्रेस एक कार्यक्रम लागू करेगी, जो राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के नेटवर्क को पुनः तैयार करने और सुसज्जित करने में सक्षम बनायेगा। पीएचसी निवारक उपायों और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा और गंभीर चिकित्सा मामलों के लिए रेफरल केंद्र बनेगा।

**14.** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएचसी और सार्वजनिक अस्पतालों में सभी स्तरों पर सभी रिक्तियां 1 वर्ष की अवधि के भीतर भरी जाएं।

**15.** हम आशा कार्यक्रम का विस्तार करेंगे और 2500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक और आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे।

**16.** कांग्रेस 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014' और 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017' को अक्षरशः लागू करने का वादा करती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सार्वजनिक जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को नियुक्त किया जाए और ऐसे सभी अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं।

# 45 शिक्षा

शिक्षा योग्यता का निर्धारण करती है और इसे सभी बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। कांग्रेस वादा करती है कि राज्य और केंद्र सरकार सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होंगी। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे ज्यादातर सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित होंगे। निजी शिक्षण संस्थान सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के पूरक के तौर पर काम कर सकते हैं।

**01.** कांग्रेस का प्रस्ताव होगा कि स्कूली शिक्षा को संघ सूची की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाये, जबकि संघ सूची में उच्च शिक्षा के विषय को बरकरार रखा जाए।

**02.** कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में इस संबंध में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे। हम सरकारी स्कूलों में विभिन्न उद्देश्यों के नाम पर विशेष शुल्क वसूलने की प्रथा को खत्म करेंगे।

**03.** हम शिक्षा की गुणवत्ता और खराब शिक्षण परिणामों के संदर्भ में बेहद चिंतित हैं, जैसा कि शिक्षा की वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (एएसईआर) में सामने आया है। कांग्रेस सीखने के परिणामों को सर्वोच्च महत्व देने का वादा करती है।

**04.** शिक्षक वह धुरी है, जिसके चारों ओर शिक्षा की पूरी व्यवस्था घूमती है। शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों की सतत शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का मूलमंत्र है। कांग्रेस सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता, संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाने का वादा करती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विनियमन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की जिम्मेदारी होगी और उनका वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसकी अनुवर्ती संस्था की जिम्मेदारी होगी। शिक्षकों की आवधिक और सतत शिक्षा के लिये एक योजना लागू की जाएगी और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से योजना में हिस्सा लेना होगा।

**05.** कांग्रेस 2023-24 तक समाप्त होने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के लिये बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का वादा करती है। इसके लिये आगे की रूपरेखा 2019-20 के आम बजट में सामने रखी जायेगी और विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य तय किये जायेंगे।

**06.** शिक्षा का अधिकार कानून ने देश भर की स्कूल प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण कमियों को उजागर किया है। जिन राज्यों में इस कानून को अच्छी तरह से लागू किया गया था, वहां कई सारी कमियों को दूर किया जा चुका है। लेकिन कुछ राज्यों खासकर राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों राज्यों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कांग्रेस कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के हर स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिये खर्च को बढ़ाने का वादा करती है, जिसमें कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, शौचालय, पेयजल आदि शामिल होंगे। छात्रावास का निर्माण मांग के आधार पर किया जायेगा।

**07.** कांग्रेस मांग के आधार पर और राज्य सरकारों के सहयोग के साथ केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का वादा करती है।

**08.** बच्चों का स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ना बेहद गंभीर चिंता का विषय है। हम इस प्रवृत्ति को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने का वादा करते हैं कि हर बच्चा 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा पूरी करे।

**09.** शिक्षा की एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिये कांग्रेस सभी स्कूलों में प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकी-संचालित, व्यक्तिगत और अनुकूली शिक्षण उपकरणों को लगाने का वादा करती है।

**10.** बच्चे स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड देते हैं, यह बेहद चिन्ता का विषय है, बच्चों को रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिये कांग्रेस वादा करती है कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के अनिवार्य घटक के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शुरू किया जायेगा।

**11.** कांग्रेस विशेष जरुरत वाले बच्चों के लिये विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देगी।

**12.** भारत को और अधिक विश्वविद्यालयों की जरुरत है। कांग्रेस देश में ज्यादा से ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, खास तौर पर पिछड़े इलाकों में करने का वादा करती है।

**13.** हम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बहाल करने का वादा करते हैं।

**14.** हम अलग-अलग संगठनों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विनियमन, ग्रेडिंग और फंडिंग सौंपेंगे। हम जरूरत और योग्यता के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इसकी अनुवर्ती संस्था को पर्याप्त धन प्रदान करेंगे।

**15.** हम विश्वविद्यालयों की नियमित स्थापना में अतिथि, अस्थायी और अनुबंध शिक्षकों को शामिल करने के लिये उपयुक्त उपाय करने का वादा करते हैं, ताकि उन्हें उनके वाजिब हक का फायदा मिल सके।

**16.** हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य केंद्रीय संस्थानों की नियुक्तियों में 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली को बहाल करने का वादा करते हैं।

**17.** कांग्रेस शिक्षकों का हृदय की गहराईयों से सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करेगी कि सेवारत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबन्धक निकायों में किया जाए।

**18.** कांग्रेस चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, प्रबंधन और विज्ञान जैसे विषयों में और अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का वादा करती है।

**19.** हम अगले 5 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 25.8 के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कम से कम 40 के स्तर तक लायेंगे।

**20.** नीट (NEET) परीक्षा का तरीका कुछ राज्यों के छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण रहा है। इसके अलावा, यह राज्य सरकार के संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उस राज्य के मूल निवासी छात्रों के प्रवेश के अधिकार में हस्तक्षेप करती है। इसलिए, हम एनईईटी परीक्षा की इस कमी को दूर करने के उपाय करेंगे और उस राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समकक्ष मानक की राज्य स्तरीय परीक्षा के साथ इसका विकल्प प्रदान करेंगे।

**21.** जो विद्यार्थी स्थायी रूप से गांव में रहते है परिवार से पहली बार शिक्षण के लिए आये या लिंग विशेष के आधार पर कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, को विशेष आपद अंक (Deprivation Points) देकर प्रोत्साहित किया जाये।

**22.** कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा को बहुविध तरीकों से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। हम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान के लिए निर्धारित राशि बढ़ाने का वादा करते हैं।

**23.** कांग्रेस छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने का वादा करती है। गरीब पात्र छात्रों को सहायता देने के लिये प्रतिभा फंड बनाने हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

**24.** हम शिक्षा ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित, पुनर्रचना और विस्तारित करेंगे। एकल पोर्टल पर आवेदन प्राप्त, जांच और स्वीकृत किये जायेंगे और फिर आवेदक के निवास या अध्ययन स्थल के नजदीक प्रलेखन और निगरानी के लिये बैंक की शाखा को सौंपे जायेंगे। जब तक छात्र को नौकरी नहीं मिलती या स्वरोजगार के माध्यम से कमाई शुरु नहीं होती हैं, तब तक अध्ययन की अवधि के दौरान का कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। 31 मार्च, 2019 तक के पुराने शिक्षा ऋणों पर बकाया ब्याज माफ कर दिया जायेगा।

**25.** कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के अधिकारों और दायित्वों को संहिताबद्ध करने के लिये कांग्रेस छात्र अधिकार विधेयक पारित करेगी।

# 46 भोजन और पोषण सुरक्षा

यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का पारित होना एक क्रांतिकारी कदम था जिसने समृद्धि (हरित क्रांति) को कल्याण (भोजन का अधिकार) से जोड़ा।

**01.** कांग्रेस सभी को सुनिश्चित तौर पर खाद्य सुरक्षा देने के लिये अथक प्रयास करने का वादा करती है।

**02.** कुछ खास आदिवासी समुदाय और समूह काफी कमजोर हैं। हम उन पर विशेष ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित मूल्य की चलित दुकानों के जरिये उन तक पर्याप्त खाद्यान्न पहुंचाया जाए।

**03.** हम 6 महीने के भीतर लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करेंगे और इसे अद्यतन बनायेंगे। बेघर, निराश्रित व्यक्तियों और प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने पर खास ध्यान दिया जायेगा। किसी भी पात्र व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाएगा।

**04.** कांग्रेस कमजोर आदिवासी समूहों और आदिवासी समुदायों को सूचीबद्ध करने के लिये विशेष उपाय करने का वादा करती है।

**05.** कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि आधार को जोड़ना स्वैच्छिक हो, लेकिन इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। आधार लिंक न करने के कारण किसी को वाजिब अधिकार वंचित नहीं किया जायेगा।

**06.** मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता और वितरण में सुधार किया जायेगा। दूध और अंडे को भोजन में शामिल किया जायेगा। मध्याह्न भोजन के लिये स्वीकृत लागत में बढ़ोत्तरी की जायेगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना का सामाजिक अंकेक्षण होगा और बच्चों के पोषण स्तर के संदर्भ में प्राप्त परिणामों का आकलन और निगरानी की जायेगी।

**07.** जहां तक संभव होगा, सार्वजनिक खाद्य वितरण कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना, आईसीडीएस आदि) स्थानीय उपज पर निर्भर होंगे। इससे स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय बाजारों को भी मदद मिलेगी।

# 47 बाल कल्याण

बच्चे देश के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन हैं। कांग्रेस का मानना है कि यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को बच्चों के सभी अधिकारों, विशेष रूप से पूर्ण शिक्षा और पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद हासिल हो।

**01.** कांग्रेस आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करने, वित्तीय मदद बढ़ाने और आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने का वादा करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जायेगा।

**02.** मांग और जरुरत के आधार पर आंगनवाड़ियों में छोटे बच्चों की दिनभर देखभाल और कामकाजी माताओं को सशक्त बनाने के लिए एक क्रेच को शामिल किया जायेगा।

**03.** पौष्टिक भोजन आईसीडीएस कार्यक्रम का मुख्य आधार है। हम कार्यक्रम की पहुंच और गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी करेंगे। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित परिणामों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

**04.** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चे का टीकाकरण हो।

**05.** बच्चे के सीखने परिणाम और 12 साल की स्कूली शिक्षा को "पूर्ण शिक्षण" के आधार पर निर्भर होगी। एएसईआर रिपोर्ट कई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाती है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी कि बच्चों को बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और वह उनके परिणामों में दिखाई दे।

**06.** बच्चों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से यौन हिंसा, मानवता के खिलाफ अपराध हैं। कांग्रेस ऐसे अपराधों के लिये गंभीर दृष्टिकोण रखने का वादा करती है। पॉक्सो अदालतों की संख्या बढ़ाई जायेगी, ट्रायल फास्ट ट्रैक पर डाले जायेंगे और दोषियों को सजा दिलायी जायेगी।

**07.** कांग्रेस बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, खास तौर पर बच्चों के कमजोर समूहों और बाल पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान देने के साथ ही बाल संरक्षण सेवाओं को सुधारने और पुनर्जीवित करने का वादा करती है।

# 48 जल प्रबंधन, स्वच्छता और साफ-सफाई

पानी और साफ-सफाई मिलना बुनियादी मानव अधिकार हैं। कांग्रेस प्रौद्योगिकी, वकालत, और कानून के माध्यम से पानी और स्वच्छता की चुनौतियों का समाधान करने का वादा करती है।

**01.** कांग्रेस सभी के लिये पीने के साफ पानी की उपलब्धता का वादा करती है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की समीक्षा की जायेगी और इसे मजबूत बनाया जायेगा। बजट आवंटन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की जायेगी।

**02.** कांग्रेस पानी की कमी की चुनौती को स्वीकार करती है और जल-संबंधित सभी गतिविधियों और विभागों को एक प्राधिकार के तहत लाने के लिए जल मंत्रालय बनाने का वादा करती है।

**03.** हम पानी तक पहुंच और पानी के लोकतांत्रिक बंटवारे पर विशेष ध्यान देंगे। हम बांधों में भंडारण और जल निकायों पर ध्यान केंद्रित करके, भूजल को फिर से भरकर तथा राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, किसानों, अन्य उपयोगकर्ताओं, पंचायतों और ग्राम सभाओं में जल प्रबंधन के संबंध में बड़े भागीदारी कार्यक्रम का निर्माण करेंगे।

**04.** कांग्रेस गंगा सहित अन्य नदियों की सफाई के लिये बजट आवंटन को दोगुना करने का वादा करती है। कांग्रेस नदियों की सफाई के लिये मौजूदा तरीकों की समीक्षा करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों को अपनाने के प्रयासों को मजबूत बनाने का वादा करती है। हम गंगा एक्शन प्लान को लोगों के कार्यक्रम में बदल देंगे और इसे लागू करेंगे।

**05.** कांग्रेस निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की समीक्षा करेगी और इसे दोबारा लागू करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी को पानी के साथ साफ-सुथरे, चालू हालत में शौचालय मिल सकें। आंकड़ों की बाजीगरी करने की बजाय कांग्रेस का ये वादा है कि एनबीए के तहत व्यक्तिगत शौचालयों (जो घर की जिम्मेदारी होगी) के निर्माण के साथ-साथ सामुदायिक शौचालयों (जो पूर्व अर्हता प्राप्त एनजीओ की जिम्मेदारी होगी) के निर्माण में मदद मिले।

**06.** हम मलजल के शोधन और सुरक्षित निपटान के लिये व्यापक योजना लागू करेंगे।

**07.** कांग्रेस डिस्पोजेबल टिशू पेपर के उपयोग, हाथ धोने और स्त्रियों में महावारी के दौरान कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर स्वच्छता पर ध्यान देने का वादा करती है। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने के लिये पंचायतों, नगर पालिकाओं और गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन किया जायेगा।

**08.** कांग्रेस अगले 3 साल में सिर पर मैला ढ़ोने वाली बुराई को मिटाने का वादा करती है। सिर पर मैला ढ़ोने वाले प्रत्येक सफाईकर्मी का पुनर्वास, फिर से कुशल बनाकर, नौकरी प्रदान की जायेगी और उसे सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का भरोसा दिया जायेगा। सिर पर मैला ढोने की प्रथा कानून, 2013 के निषेध को सख्ती से लागू किया जायेगा और कोई भी व्यक्ति यदि किसी से इस प्रकार मैला ढोने का काम कराता है तो उसे दंडित किया जायेगा। हम मशीनों की खरीद के लिये पर्याप्त धन आवंटित करेंगे, जो सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करेंगे और मानव अपशिष्ट को हटायेंगे।

# 49 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

कांग्रेस जलवायु परिवर्तन के परिणामों को स्वीकार करने वाली (14 जून 1972 को स्टॉकहोम में श्रीमती इंदिरा गांधी) पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी थी।

यह एक कड़वा सच है कि भारत का पर्यावरण बुरी तरह से बिगड़ चुका है। 2018 के वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 177वें स्थान पर रखा गया है। भाजपा सरकार ने इस गिरावट को रोकने के लिए पिछले 5 वर्षों में लगभग कुछ भी नहीं किया।

**01.** कांग्रेस एक कार्य एजेंडा लागू करने का वादा करती है, जो भारत को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण सुरक्षा में अगली कतार में पहुंचा देगा। साथ ही साथ, कांग्रेस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में भारत के हितों की रक्षा और बढ़ोत्तरी करेगी।

**02.** हम पर्यावरण मानकों और नियमों को स्थापित करने, निगरानी और लागू करने के लिए कानूनी, स्वतंत्र, सशक्त और पारदर्शी पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (ईपीए) का गठन करेंगे। ईपीए उन सभी अन्य निकायों को प्रतिस्थापित करेगा जो मौजूदा अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं।

**03.** कांग्रेस मानती है कि वायु प्रदूषण राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह है। प्रदूषण की समस्या से तुरंत निपटने के लिये हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को काफी मजबूत करेंगे। उत्सर्जन के सभी प्रमुख स्रोतों को लक्षित किया जायेगा, कम किया जायेगा और स्वीकार्य स्तर तक घटाया जायेगा। क्षेत्रीय उत्सर्जन मानक निर्धारित किये जायेंगे।

**04.** हम व्यापक भूमि और जल उपयोग नीति एवं कार्ययोजना तैयार करेंगे और इसमें स्थानीय समुदायों के जायज अधिकारों को प्रभावित किये बिना पारिस्थितिक तंत्र और उसमें निहित जैव-विविधता एवं वन्यजीवों के संरक्षण के उपाय शामिल होंगे।

**05.** हम हिमालयी रेंज और पश्चिमी घाटों की समृद्ध जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिये संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका के अवसरों की रक्षा की जायेगी।

**06.** कांग्रेस देशभर की सभी नदियों की सफाई और नदियों में पूरी तरह से अपशिष्टों के गिरने पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी।

**07.** कांग्रेस देश के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का वादा करती है। तटीय क्षेत्र के नियमों को कमजोर करने वाले हालिया कदमों को पहले की ही तरह किया जायेगा। मछुआरा समुदायों की आजीविका के अवसरों को प्रभावित किये बिना तटों को संरक्षित किया जायेगा।

**08.** हम सभी प्रकार के कचरे के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे।

**09.** हम निर्माण के लिए रेत के आयात की अनुमति देंगे और नदी के किनारों पर रेत के अवैध खनन को रोकेंगे।

**10.** हम आधुनिक तकनीक और मशीनरी का उपयोग करके हर घर, स्थान, गाँव, कस्बे और शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना लागू करेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान में लगे लोगों को उचित उपकरण, गरिमा और सुरक्षित कामकाजी माहौल उपलब्ध कराया जायेगा।

**11.** कांग्रेस पंचायतों और नगरपालिकाओं को कानूनी और वित्तीय शक्तियां प्रदान करेगी, ताकि वे पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में राज्य सरकारों के साथ भागीदारी कर सकें और समग्र प्रयासों में युवाओं, महिलाओं, समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकें।

**12.** कांग्रेस वनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन करने, वन विभागों की भूमिका को फिर से परिभाषित करने और स्थानीय समुदायों को वनों और वन संसाधनों के शेयरधारकों का संरक्षक बनाने का वादा करती है।

**13.** हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्ष 2025 तक वनाच्छादित क्षेत्र को मौजूदा 21 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक लाने का काम करेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे -

- **i.** आधुनिक वैज्ञानिक मानकों के अनुसार 'वन' तथा 'वनाच्छादित क्षेत्र' शब्द और वाक्यांश को फिर से परिभाषित करेंगे;
- **ii.** जिला स्तर पर सटीक वनाच्छादित क्षेत्र का आंकलन करेंगे;
- **iii.** वनीकरण परियोजनाओं और पौधों की प्रजातियों के चयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करेंगे; तथा
- **iv.** वन संरक्षण और वनीकरण के लिये तय धन के दूसरे इस्तेमाल को प्रतिबंधित और दंडनीय बनायेंगे।

**14.** कांग्रेस वन्यजीवों के आवासों को संरक्षित करने तथा मनुष्य और जंगली जीवों के बीच टकराव को कम करने व प्रबंधन करने तथा मानव जीवन के नुकसान की स्थिति में मुआवजे का वादा करती है।

**15.** हम पशु कल्याण को बढ़ावा देंगे और जानवरों से क्रूरता करने वाले को कड़ाई से दंडित करेंगे।

**16.** कांग्रेस देशभर में सभी घरों में सस्ती कीमत पर स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने का वादा करती है। हम एलपीजी सिलेंडरों की कीमत की निगरानी करेंगे और सब्सिडी के माध्यम से बढ़ी कीमतों के बोझ को गृहणियों पर से कम करेंगे।

**17.** हम राष्ट्रीय खातों को एक ऐसे ढंग से पेश करेंगे जिसमें पर्यावरणीय क्षरण और नुकसान की कीमत का हिसाब-किताब होगा। वार्षिक बजट में ग्रीन बजट के मूल सिद्धांतों को अपनाया जायेगा।

**18.** कांग्रेस भारत को ग्रीन विनिर्माण हब बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। हम स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिये शुल्क में कमी करेंगे और व्यापार की बाधाओं को दूर करेंगे और ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

**कांग्रेस भारत को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रखने के लिये एक कार्य एजेंडे का वादा करती है।**

## 50 जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के दोहरे खतरों से निपटे बिना गरीबी का खात्मा संभव नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण गरीबों को ही सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है।

**01.** कांग्रेस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को दोबारा से देखने और पिछले 14 वर्षों में हुई प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन अधिनियम तैयार करने के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर जरुरी बदलावों को शामिल करने का वादा करती है।

**02.** हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा करेंगे और आपदाओं को रोकने के महत्वपूर्ण समान कार्य पर जोर देंगे।

**03.** हम आपदा प्रबंधन को मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसमें जंगली जानवरों, घरेलू पशुओं, पालतू जानवरों, पशुधन, कृषि उपज और वृक्षारोपण पर आपदा के प्रभाव को शामिल करेंगे।

**04.** हम सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिये मनरेगा कार्यक्रम का उपयोग करेंगे, जो बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के असर को कम करेगा।

**05.** कांग्रेस मौसम विज्ञान के उन्नत साधनों को शामिल करके एक आधुनिक जलवायु सूचना प्रणाली विकसित करने का वादा करती है, जो किसानों, मछुआरों और कमजोर परिवारों सहित प्रमुख हितधारकों तक सही पूर्वानुमान, निगरानी और सही जानकारी का प्रसार करेगी।

**06.** हम राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का आवंटन बढ़ायेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए धन के उपयोग के दिशानिर्देशों को फिर से देखेंगे कि ऐसी योजनाएं वास्तव में किसानों, मछुआरों, वनवासियों, कारीगरों और संबंधित लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं।

## 51 हर नागरिक का डिजिटल अधिकार

कांग्रेस अपने इस विश्वास को दोहराती है कि प्रत्येक भारतीय को डिजिटल अधिकारों का फायदा मिले और हर किसी की स्वतंत्र रूप से डिजिटल दुनिया तक पहुंच हो। कांग्रेस वादा करती है कि -

**01.** सभी लोगों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेट तक पहुंच प्रदान की जायेगी।

**02.** इंटरनेट सभी के लिये समान रूप से उपलब्ध हो इसके लिये 'नेट निष्पक्षता' के सिद्धांत को बनाये रखा जायेगा।

**03.** इंटरनेट बंद करने और मनमाने ढंग से इंटरनेट सेवाएं रोकने की शक्तियों का विनियमन किया जायेगा। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जायेगी।

**04.** स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर पर भरोसा करने के लिए बाध्य किये बिना सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और सरकारी जानकारी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिये खुले मानकों और स्वतंत्र व मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना।

**05.** सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये एक कानून पारित किया जायेगा और निजता के अधिकार को बनाये रखा जायेगा।

**06.** अवैध या अत्यधिक निगरानी और निगरानी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिये एक कानून पारित किया जायेगा और स्वतंत्र और संसदीय दोनों तरह से निरीक्षण प्रदान किया जायेगा;

**07.** सभी सरकारी विभागों से सभी गैर-निजी आंकड़ों के सेट को सार्वजनिक रूप में प्रकाशित कराया जायेगा, ताकि नागरिकों को आरटीआई आवेदन किये बिना ही आंकड़ों के इस्तेमाल की अनुमति मिल सके।

**08.** नफरत फैलाने वाले भाषणों तथा फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिए नियम पारित किये जायेंगे और डिजिटल तथा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों को दंडित किया जायेगा।

# 52 खेल

कांग्रेस को दृढ़ विश्वास है कि भारत में एक महान् खेल राष्ट्र की पूरी क्षमता है। हमारी खेल नीति का उद्देश्य अपने नागरिकों विशेषकर छात्रों और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना होगा। खेल और स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति/संस्कृति का सूत्रपात्र करने के साथ ही इन्हें आजीविका के तौर पर अपनाने को भी प्रोत्साहित करेंगे।

**01.** कांग्रेस भारतीय ओलंपिक संघ सहित सभी खेलों की सर्वोच्च संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करने का वायदा करती है। सरकार खेलों से संबंधित प्रत्येक संस्था के साथ मिलकर संबंधित खेल के विकास के लिये काम करेगी।

**02.** कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिये हर संभव कदम उठायेगी कि प्रत्येक खेल संस्था का संविधान कुछ सिद्धांतों और मानदंडों पर आधारित हो। उसमें समयानुसार चुनाव होते रहें, सभी वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों के साथ-साथ विशेषतौर पर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

**03.** हम शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का आवश्यक हिस्सा बनायेंगे तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में भी खेलों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलवाने की दिशा में प्रयास करेंगे।

**04.** कांग्रेस देश के विभिन्न हिस्सों में बहुखेल मैदान (मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम) एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल मैदान, एस्ट्रोटर्फ, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबाल कोर्ट, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, वेलोड्रम जैसे बुनियादी ढांचे को आधुनिकतम बनाने के लिये पर्याप्त धन मुहैया करवाने का वायदा करती है। हम इन खेल सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित खेल की सर्वोच्च संस्था को देंगे।

**05.** कांग्रेस प्रत्येक खेल के लिये नये प्रशिक्षक और तकनीकी सहायकों की भर्ती करने और प्रशिक्षित करने के लिये पर्याप्त धन का आवंटन करेगी।

**06.** कांग्रेस देश के विभिन्न हिस्सों में सर्वोच्च खेल केन्द्र (स्पोर्टिंग एक्सीलेंस) स्थापित करने का वादा करती है, जिससे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण मिल सके।

**07.** हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ब्लॉक तथा नगर निगम के कस्बों में कम से कम एक सामुदायिक खेल केन्द्र हो तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक बहु खेल कोचिंग केन्द्र हो।

**08.** कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक खेल परामर्श केन्द्र हो, जो विभिन्न खेलों के बारे में युवाओं और छात्रों को प्रोत्साहित करे। खिलाड़ियों को खेलों के बारे में जागरुक करे एवं जरुरी परामर्श प्रदान करे।

**09.** हम लड़कियों और महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, तथा अन्य वंचित समूहों के बीच खेल को प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त धन आवंटित करेंगे।

# अपील

पिछले 5 वर्षों में केवल भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को ही नहीं, अपितु भारत और भारतीयता को भी भारी नुकसान हुआ है। हम एक धीमी और निष्क्रिय अर्थव्यवस्था के भंवर में फंस गये हैं। हम बेरोजगारी के दलदल में धंस गये हैं, अभूतपूर्व तरीके से कृषि और ग्रामीण संकट के काले बादल छाये हुए हैं। हम एक विभाजित और खंडित समाज में फंस गये हैं। भय और अविश्वास की काली छाया हमें डरा रही है।

इस सबसे पार पाने और हमारी स्वतंत्रता व अखंडता, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्थाओं और हमारी सामाजिक सौहार्द की भावना को पिछले 5 वर्ष में हुए भारी नुकसान को ठीक करने के लिये बहुत परिश्रम करने की जरुरत है। कांग्रेस फिर से एक बार इस चुनौती और जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकारने के लिये तैयार है।

हम संवेदनहीन, विभाजनकारी तथा धोखेबाज भाजपा सरकार द्वारा भारत और भारतीयता को हुए नुकसान को दुरुस्त करने का वायदा करते हैं।

भारत को पीछे की ओर धकेलने की बजाय हम देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का वायदा करते हैं।

देश के सभी नागरिकों (स्त्री, पुरुष, बच्चों) को समस्याओं में उलझाने की बजाय हम उन्हें सशक्त बनाने का वायदा करते हैं।

हम ऐसा नेतृत्त्व प्रदान करने का वायदा करते हैं जो लोगों को विभाजित करने की बजाय एकजुटता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ाये।

हम चुनावी फायदे के लिये खोखले जुमलों से धोखा देने वालों के विपरीत अपने वायदों और सिद्धांतों पर खरा उतरने वाली पार्टी हैं। हमारे साथ, आपका और आपके बच्चों का उम्मीदों से भरा उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित है।

देश के सामने अपनी सरकार को चुनने का समय आ गया है। हमारे पास हर समस्या को चुनौती देने की क्षमता, हर चुनौती को उठाने का अदम्य साहस है। हम पूरी विनम्रता के साथ अनुरोध और अपील करते हैं कि आप कांग्रेस के साथ अपना हाथ मिलाएं।

आइए, हम मिलकर भारत का पुनर्निर्माण करें, हम सब एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाएं।

**याद कीजिए!**
**हमने पहले भी निभाया है और आगे भी हम निभायेंगे!**

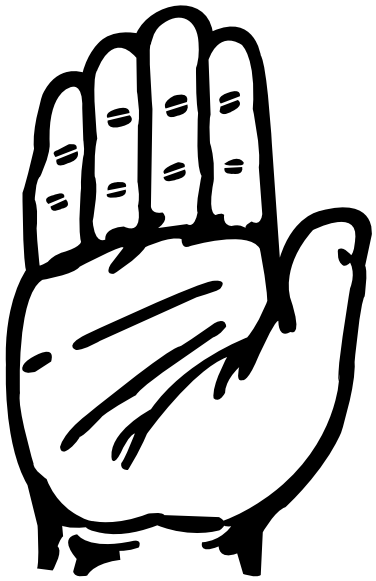

# भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

www.inc.in
IndianNationalCongress
INCIndia
INCIndia
IndianNationalCongress

प्रकाशन
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,
24, अकबर रोड, नई दिल्ली
पिन: 110001

मुद्रक
सम्राट ओफ़्सेट, B88,
ओखला फेज 2, नई दिल्ली,
पिन: 110020
कुल संख्या: 5000